

अनुबंध

अनुबंध 1.1

(पैराग्राफ 1.3.2.2 के संदर्भ में)

कुल अदत्त आर्थिक सहायता दावों से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सी.पी.एस.यू./निगम का नाम	वर्ष 2015-16 के दौरान केवल तीन तिमाहियों के बकाया दावे	2015-16 के दौरान प्रस्तुत किए गए चौथी तिमाही के दावे	2015-16 के अंत में बकाया दावों का अंतिम शेष	वर्ष 2015-16 के अंतिम तिमाही दावों के निकाले बिना पिछले वर्षों के बकाया दावों सहित किए दावे
	1	2	3	4	5(4-3)
1.	उर्वरक एवं रसायन ट्रावणकोर लिमि.	121.33	56.35	254.23	197.88
2	राष्ट्रीय उर्वरक लिमि.	2883.23	597.32	4629.17	4031.85
3	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमि.	2083.49	986.03	3931.81	2945.78
4	भारतीय खाद्य निगम	37776.56	39898.61	185535.36	145636.75
5	पेट्रोलियम आर्थिक सहायता	27280.06	8873.36	18590.60	9717.24
	कुल	70144.67	50411.67	212941.17	162529.50

अनुबंध 2.1

(पैराग्राफ 2.2.1- क के संदर्भ में)

राजस्व और पूँजीगत मुख्य शीर्षों का विवरण जिनके अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' 2015-16 में प्रचालित किया गया था जिसे मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल खर्च के 50 प्रतिशत से ज्यादा लेखाबद्ध किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष -800 के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1	2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ	72.98	72.58	99.45
2	2515- अन्य ग्रामीण विकास	822.46	468.38	56.95
3	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	254.41	252.70	99.32
4	3053- नागरिक उड्डयन	433.16	239.58	55.30
5	3275- अन्य संचार सेवाएँ	9,524.44	6,291.18	66.05
6	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	30.27	20.82	68.78
7	4405- मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय	22.91	13.94	60.84
8	4552- उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय	257.91	152.46	59.11
9	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	62.93	62.36	99.09
10	4853- अलौह खनन और धातुकर्म पर पूँजीगत परिव्यय	51.81 ¹	51.82	100
11	5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2,279.81	2,276.28	99.84
12	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1150.57	671.35	58.34
	कुल	14,963.66	10,573.45	

¹ मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय, अधिक भुगतान की वसूली के कारण लघु शीर्ष- 800 के अंतर्गत दर्ज किए गये व्यय से कम है ।

अनुबंध 2.2

(पैराग्राफ 2.2.1-ख के संदर्भ में)

ऐसे राजस्व मुख्य शीर्षों का विवरण जिनके अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्ति' 2015-16 में प्रचालित किया गया था तथा जिसे प्राप्ति मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल प्राप्ति के 50 प्रतिशत से ज्यादा लेखाबद्ध किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियां	लघु शीर्ष: 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत प्राप्तियां	प्रतिशतता
1.	0029-भूमि राजस्व	21.02	18.70	88.96
2.	0047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	82.94	82.88	99.93
3.	0077-रक्षा सेवाएं - नौसेना	328.77	235.45	71.62
4.	0078- रक्षा सेवाएं - वायु सेना	827.95	534.85	64.60
5.	0080- रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	385.49	385.49	100.00
6.	0217-शहरी विकास	0.63	0.63	100.00
7.	0221- प्रसारण	6,753.00	5,684.34	84.18
8.	0230- श्रम एवं रोजगार	39.87	35.19	88.26
9.	0405- मत्स्य पालन	16.78	14.04	83.67
10.	0408- खाद्य भंडारण एवं वेयरहाउसिंग	2.09	2.09	100.00
11.	0425- सहकारिता	0.22	0.21	95.45
12.	0435- अन्य कृषि कार्यक्रम	17.44	13.37	76.66
13.	0515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0.50	0.50	100.00
14.	0701- मध्यम सिंचाई	17.35	17.35	100.00
15.	0702- लघु सिंचाई	1.24	1.24	100.00
16.	0801- विद्युत	15,211.35	11,193.26	73.58
17.	1055- सड़क परिवहन	150.35	150.35	100.00
18.	1056- अंतरमार्गीय जल परिवहन	10.08	10.08	100
19.	1452- पर्यटन	22.24	21.72	97.66
20.	1456- नागरिक आपूर्ति	0.98	0.98	100.00
	कुल	23,890.29	18,402.72	

अनुबंध 2.3

(पैराग्राफ 2.2.2- क के संदर्भ में)

सरकारी खाते से बाहर विनियामकों की निधियां

क्र. सं.	विनियामकों/स्वायत्त निकायों का नाम	निवेशों/पूँजीगत निधि का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड	आधिक्य निधि/कोर्पस निधि	1,705.00
2.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	आधिक्य निधि	104.18
3.	पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण	पूँजीगत/कोर्पस निधि	20.40
4.	भारतीय चिकित्सा परिषद	सावधि जमा	427.20
5.	भारतीय दंत चिकित्सा परिषद	विशेष सावधि जमा प्राप्ति (एसटीडीआर)	114.06
6.	भारतीय भेषज परिषद	सावधि जमा प्राप्तियां	36.08
7.	भारतीय नर्सिंग परिषद	बैंक के साथ एफडीआर	31.89
8.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद	सावधि जमा	1.91
9.	केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद	लोक जमा खाता	10.45
10.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानकीकरण प्राधिकरण	अपने संसाधनों से निवेश	110.95
11.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	बैंक के साथ एफडीआर सामान्य	930.00
12.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	बचत बैंक खाता	470.26
13.	भारतीय पुनर्वास परिषद	सामान्य आरक्षित निधि	10.72
कुल			3,973.10

अनुबंध 2.4

(पैराग्राफ 2.4.3 के संदर्भ में)

निष्क्रिय आरक्षित निधियां/जमाएं दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31 मार्च 2016 को शेष (₹ हजार में)	कब से निष्क्रिय
1.	8116.102-रेलवे राजस्व आरक्षित निधियां- निवेश खाते	आरक्षित निधि	1,099	2001-02
2.	8116.XXX-रेलवे-ब्रांच लाईन कंपनियों को ऋण		1,177	2001-02
3.	8121.XXX-स्टाफ लाभ निधि (रेलवे)- निवेश खाता		100	1999-2000
4.	8121.111-आकस्मिक आरक्षित निधि - विद्युत		13,075	2006-07
5.	8223.101-अकाल सहायता निधि		3	2008-09
6.	8229.101-शिक्षा उद्देश्यों हेतु विकास निधियां		7	2002-03
7.	8229.102- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के लिए विकास निधियां		60	2002-03
8.	8229.108-खनन क्षेत्र विकास निधियां		102	2002-03
9.	8230.101-विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (वाणिज्यिक)		58,11,202	2008-09
10.	8230.102- विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (सामरिक)		1,66,624	2007-08
11.	8235.101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों का सामान्य आरक्षित निधियां		7,586	2008-09
12.	8235.105-सामान्य बीमा निधि		26,13,201	2005-06
13.	8235.113-राष्ट्रीय नवीकरण निधियां		1,77,020	2008-09
14.	8337.103-भारतीय रेलवे सम्मेलन एसोसिएशन कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि - निवेश खाता	जमा	6,512	2001-02
15.	8342.107-संपदा शुल्क कर भुगतान के लिए जमा		131	2008-09
16.	8342.110- दूरभाष आवेदन जमाएं		22,39,801	2005-06
17.	8342.111-टैलेक्स आवेदन जमाएं		79,306	2003-04
18.	8342.114- पट्टे पर दूरसंचार स्विधा जमाएं		16,947	2001-02

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

19.	8342.108- आयकर, सुपर कर, अधिक लाभ, कर एवं अतिरिक्त प्रभार की जमाएं	12,161	2001-02
20.	8443.114-निर्यात व्यापार जमाएं	1,52,527	1988-89
21.	8443.127- ठेकेदारों/कर्मचारियों/पेंशनरों आदि जो पाकिस्तान प्रवास कर गए हैं के दावों को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों की जमाएं	2,106	1996-97
22.	8443.130-प्रोविडेंट सोसायटीज तरलता खाता	13	2008-09
23.	8445.102- ब्रांच लाईन कंपनियों की जमाएं	65	1992-93
24.	8448.102-निगम निधि	3	2009-10
25.	8448.103-छावनी निधियां	1	2000-01
26.	8448.109- पंचायत निकाय निधि	84	2008-09
27.	8448.111- चिकित्सा एवं दानशील निधियां	52	1988-89
28.	8448- स्थानीय निधियों की जमाएं 120- अन्य निधियां	226	2004-05
29.	8449.104- खनन भविष्य निधि की जमाएं	1,601	1988-89
30.	8449.106- भारत अमेरिका करार 1974 के अंतर्गत खाता	16	1991-92
31.	8449.107- आय कर, सुपर कर, अधिक लाभ कर ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार सहित की जमाएं	13,393	1991-92
32.	8449.108- ऋण के निर्वहन के लिए स्थानीय निकायों की जमाएं	3,297	2000-01
33.	8449.113- तेल बीजों एवं वनस्पति तेल विकास निधि	36,613	1999-2000
34.	8449.118- जापानी अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम जमाएं	10,360	1995-96
35.	8450.101- पांडेचेरी का शेष	4,01,290	2008-09
36.	8450.102- गोवा, दमन एवं दीव का शेष	1,63,026	1988-89
37.	8450.104- अरुणाचल प्रदेश का शेष	5,68,251	1988-89
38.	8450.105- मिजोरम का शेष	12,44,138	1988-89

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

39.	8009.01.103- आईसीएस भविष्य निधि	अन्य देयताएं	201	1999-2000
40.	8010.105- अन्य ट्रस्ट		1,923	1999-2000
41.	8010.102- अवध के स्व. राजा द्वारा दिया गया दान		9,104	1992-93
42.	8010.104- धर्मार्थ एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए दान		10	2008-09
43.	8012.103- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को जारी विशेष प्रतिभूतियां		16,28,305	1988-89
कुल			1,53,82,719	

अनुबंध 2.5

(पैराग्राफ 2.4.4.3-ड के संदर्भ में)

**(क) अन्य ऋणी ईकाईयों या संस्थानों के प्रति 20 वर्षों से अधिक के लिए लंबित
मूलधन एवं ब्याज का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ईकाई का नाम	पूर्व की अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2016 को बकाया की राशि	
			मूलधन	ब्याज
1.	भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं निवेश निगम (आईसीआईसीआई) लिमि., मुम्बई	1987-88	46.05	67.13
2.	पायराइट्स, फॉस्फेट तथा केमिकल्स लिमि., नई दिल्ली	1988-89	184.35	458.29
3.	हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमि., नई दिल्ली	1981-82	1,912.84	6,457.98
4.	भारतीय उर्वरक निगम, नई दिल्ली	1984-85	2,737.94	815.37
5.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमि.	1987-88	373.08	504.63
6.	ब्रिटिश भारत निगम, कानपुर	1984-85	437.77	955.31
7.	एल्गिन मिल्स कंपनी, कानपुर	1984-85	343.29	1,958.15
8.	बर्डस जूट एवं एक्सपोर्ट लिमि., कोलकाता	1981-82	20.22	68.76
9.	इलेक्ट्रॉनिक व्यापार एवं प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमि, दिल्ली	1987-88	22.01	51.80
10.	भारतीय ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमि., गुडगांव	1980-81	1,205.30	3,756.60
11.	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमि., कोलकाता	1980-81	68.45	191.50
12.	बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमि., कोलकाता	1982-83	129.52	60.49
13.	बंगाल प्रतिरक्षा कंपनी लिमि., कोलकाता	1982-83	135.98	423.24
14.	भारत भारी उद्योग लिमि., कोलकाता	1988-89	46.44	513.59
15.	भारत ऑप्येलमिक ग्लास लिमि., दुर्गापुर	1983-84	66.68	237.86
16.	राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमि., नेपालगर	1985-86	113.59	40.35

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

17.	भारतीय राष्ट्रीय बाईसाईकिल निगम लिमि., कोलकाता	1982-83	70.67	585.69
18.	भारतीय साईकिल निगम लिमि., कोलकाता	1981-82	201.30	603.90
19.	भारतीय चर्म शोधन एवं फुटवियर निगम, कानपुर	1979-80	156.43	610.78
20.	रिचर्डसन एंड क्राडास लिमि., मुम्बई	1990-91	101.78	536.95
21.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमि., तुंगभद्रा	1972-73	113.00	246.29
22.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस एमएफजी. को. लिमि.	1992-93	487.61	1,309.20
23.	पुनर्वास उद्योग निगम लिमि., कोलकाता	1985-86	163.47	769.94
24.	खनन एवं सहायक मशीनरी निगम लिमि., दुर्गापुर	1986-87	560.12	2,229.27
25.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमि.	1981-82	210.95	993.30
26.	भारत स्वर्ण खनन लिमि., कर्नाटक	1977-78	219.29	831.15
27.	मेसर्स कुमारधुबी फायरक्ले एंड सिलिका वर्क्स लिमि.	1988-89	10.69	15.68
28.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	1989-90	75.35	299.79
29.	कोचीन पत्तन न्यास, कोची	1982-83	226.27	1,199.90
30.	पारादीप पत्तन न्यास	1986-87	387.74	1,305.26
31.	राज्य विद्युत बोर्ड	1990-91	101.19	256.86
कुल			10,929.37	28,355.01

(क) राज्य सरकारों के प्रति ऋणों के बकाया मूलधन एवं ब्याज का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/यूटी सरकार के नाम	पूर्व की अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2016 को बकाया की राशि	
			मूलधन	ब्याज
1	असम	1984-85	114.07	924.73
2	गोवा	1987-88	83.01	232.95
3	जम्मू एवं कश्मीर	1984-85	37.17	97.90
4	मेघालय	1987-88	8.08	44.05
5	मिजोरम	1988-89	13.95	30.62
6	तमिलनाडु	1984-85	17.74	37.04
7	त्रिपुरा	1995-96	1.28	28.74
8	पुदुचेरी	1984-85	117.20	19.41
कुल			392.50	1415.44

अनुबंध 2.6

(पैराग्राफ 2.5.2 के संदर्भ में)

ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

क्र.सं.	लेखाशीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)	31.03.2016 को शेष (₹ हजार में)	अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हो गए
कथन सं. -13			
1.	8115.00.101	मूल्यहास आरक्षित निधियां - रेलवे (वाणिज्यिक लाईन)	डे. 3,09,98,579 2009-10
2.	8117.00.101	रेलवे विकास निधि - वाणिज्यिक लाईन	डे. 38,94,497 2015-16
3.	8229.00.200	अन्य विकास तथा कल्याण निधि	डे. 17,25,843 2007-08
4.	8235.00.135	राष्ट्रीय स्वच्छता कोष	डे. 15,94,207 2015-16
5.	8443.00.111	अन्य विभागीय जमाएं	डे. 6,35,001 2006-07
6.	8443.00.121	चुनाव से संबंधित जमाएं	डे. 1,290 2015-16
7.	8445.00.104	रेलवे जमाएं - न्यास ब्याज खाता	डे. 1,98,265 2005-06
8.	8445.00.800	रेलवे जमाएं - अन्य जमाएं	डे. 1,22,06,588 2005-06
9.	8446.00.102	अन्य डाक जमाएं	डे. 12,12,686 2014-15
10.	8446.00.800	डाक जमाएं - अन्य जमाएं	डे. 1,40,311 2005-06
11.	8448.00.102	स्थानीय निधियों की जमाएं - म्यूनिसिपल जमाएं	डे. 3 2007-08
12.	8448.00.104	स्थानीय निधियों की जमाएं - भारतीय बीमा एसोसिएशन की निधियां	डे. 291 Pre-1976- 77
13.	8451.00.101	भोपाल गैस रिसाव विपदा राहत निधि - दावें तथा राहत निधियां	डे. 93,12,874 2005-06
14.	8451.00.102	भोपाल गैस रिसाव विपदा राहत निधि - दावें तथा राहत निधि निवेश खाता	क्रे. 92,21,195 2005-06
15.	8551.00.101	रक्षा अग्रिमें	क्रे. 5,97,321 2015-16
16.	8670.00.109	रक्षा चेक	डे. 6,02,412 2015-16
कथन सं. -14			
17.	6002.00. 207	यूरोपीय आर्थिक समुदाय से ऋणें	डे. 10,31,919 2000-01

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

18.	6002.00. 208	फ्रांस सरकार से ऋणें	डे.	24,43,574	2000-01
19.	6002.00. 223	स्विस संघ सरकार तथा स्विस बैंक से ऋणें	डे.	2,42,473	2010-11
20.	6002.00. 226	अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण यूएसए से ऋणें	डे.	86,92,403	1995-96
21.	6002.00. 227	पीएल-480 परिवर्तनीय करेंसी क्रेडिट के अंतर्गत यूएसए सरकार से ऋणें	डे.	28,66,589	1995-96
22.	8009.00.106	अन्य विविध भविष्य निधि	डे.	5,208	2015-16
23.	8012.00.109	आयकर वार्षिक जमाएं	डे.	13,983	2015-16
24.	8014.01.107	पीएलआई चिल्ड्रेन पॉलिसी योजना	डे.	9,956	2014-15
25.	8014.02.105	आरपीएलआई प्रत्याशित अक्षय निधि आश्वासन योजनाएं	डे.	4,641	2015-16
कथन सं. -14 क					
26.	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को जारी प्रतिभूतियां	डे.	4,04,339	2010-11
27.	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि को जारी प्रतिभूतियां	डे.	2,15,439	2002-03
कथन सं. - 15					
28.	6202.01.203	उच्चतर शिक्षा एवं विश्वविद्यालय	क्रे.	1,568	2004-05
29.	6215.02.800	अन्य ऋण	क्रे.	20,855	2001-02
30.	6216.80.190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋणें	क्रे.	2	2008-09
31.	6216.80.800	अन्य ऋणें	क्रे.	12,014	2010-11
32.	6225-01-800	अन्य ऋणें	क्रे.	829	1994-95
33.	6245.01.101	निःशुल्क राहत	क्रे.	896	1986-87
34.	6245.02.101	निःशुल्क राहत	क्रे.	2,157	1997-98
35.	6402.00.102	मृदा संरक्षण	क्रे.	7,752	1995-96
36.	6402.00.203	भूमि सुधार एवं विकास	क्रे.	592	2007-08
37.	6404.00.800	अन्य ऋणें	क्रे.	3,969	2004-05
38.	6405.00.106	मत्स्य क्राफ्टस का यांत्रिकीकरण	क्रे.	532	2006-07

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

39.	6425.00.108	अन्य सहकारी समितियों को ऋण	क्रे.	34,67,197	2003-04
40.	6515.00.102	सामुदायिक विकास	क्रे.	163	1986-87
41.	6801.00.201	पनबिजली उत्पादन	क्रे.	8,80,938	2004-05
42.	6801.00.205	संचारण एवं वितरण	क्रे.	13,91,767	2005-06
43.	6851.00.102	लघु स्तरीय उद्योग	क्रे.	10,958	2006-07
44.	6853.60.190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रे.	78,208	2014-15
45.	7052.02.101	नौवहन विकास निधि समिति को ऋण	क्रे.	29,41,305	2011-12
46.	7053.00.190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रे.	3,77,537	2010-11
47.	7475.00.102	व्यापार संस्थान	क्रे.	25,000	2011-12
48.	7601.01.436	फसल कृषि व्यवस्था - वाणिज्यिक फसलें	क्रे.	1	2012-13
49.	7601.03.413	अन्य सहकारी समितियों को सहकारी ऋण	क्रे.	4,189	2012-13
50.	7601.03.501	मृदा एवं जल संरक्षण - मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रे.	2,185	2012-13
51.	7601.03.576	पशु पालन - मवेशी एवं भैंस विकास	क्रे.	11	2012-13
52.	7601.03.601	दुग्ध उत्पादन विकास	क्रे.	29	2012-13
53.	7601.03.727	ग्राम एवं लघु उद्योग - लघु स्तरीय उद्योग	क्रे.	139	2012-13
54.	7601.03.786	बाढ़ नियंत्रण - अन्य ऋणों	क्रे.	71,707	2012-13
55.	7601.03.787	समुद्र कटाव रोकने की परियोजनाएं - अन्य ऋण	क्रे.	1,239	2012-13
56.	7601.04.267	जल आपूर्ति - अन्य ऋण	क्रे.	1,49,604	2012-13
57.	7601.04.312	शहरी विकास - लघु/मध्यम शहरों का समेकित विकास	क्रे.	1,91,427	2012-13
58.	7601.04.360	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - अन्य ऋण	क्रे.	408	2012-13
59.	7601.04.411	सहकारी क्रे. सहकारी समितियां	क्रे.	32,687	2012-13
60.	7601.04.413	अन्य सहकारी समितियां	क्रे.	1,473	2012-13
61.	7601.04.436	फसल कृषि व्यवस्था - वाणिज्यिक फसलें	क्रे.	1,35,028	2012-13
62.	7601.04.443	फसल कृषि व्यवस्था - अन्य ऋण	क्रे.	3,38,837	2012-13

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

63.	7601.04.501	मृदा एवं जल संरक्षण - मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रे.	99,004	2012-13
64.	7601.04.579	पशु पालन - भेड़ एवं ऊन विकास	क्रे.	175	2012-13
65.	7601.04.601	दुग्ध उत्पादन विकास	क्रे.	36	2012-13
66.	7601.04.726	ग्राम एवं लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग	क्रे.	6,960	2012-13
67.	7601.04.727	ग्राम एवं लघु उद्योगों - लघु स्तरीय उद्योग	क्रे.	853	2012-13
68.	7601.04.729	ग्राम एवं लघु उद्योग - क्वायर उद्योग	क्रे.	354	2012-13
69.	7601.04.747	ग्राम एवं लघु उद्योग - अन्य ग्रामीण उद्योग	क्रे.	1,088	2012-13
70.	7601.04.786	बाढ़ नियंत्रण - अन्य ऋण	क्रे.	4,730	2012-13
71.	7601.04.825	अंतर्राज्यीय सड़कें या आर्थिक महत्व-सड़क निर्माण कार्य	क्रे.	18,359	2012-13
72.	7601.04.826	अंतर्राज्यीय सड़कें या आर्थिक महत्व - यंत्र एवं उपकरण	क्रे.	106	2012-13
73.	7601.04.871	अंतर्देशीय जल परिवहन - अन्य ऋण	क्रे.	897	2012-13
74.	7601.07.800	अन्य ऋण	क्रे.	1,580	2012-13
75.	7602.04.412	सहकारी उपभोक्ता सहकारी समितियां	क्रे.	593	2012-13
76.	7610.00.203	अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	क्रे.	3,93,664	2004-05
कथन सं. -16					
77.	8002.00.103	कोषागार बचत जमाएं प्रमाणपत्र	डे.	6,962	1976-77
78.	8002.00.105	बचत प्रमाणपत्र- बैंक सीरिज	डे.	189	2007-08

अनुबंध 2.7
(पैराग्राफ 2.6 के संदर्भ में)
प्रारूप लेखे में शेष बकाया

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम तैयार लेखे की अवधि
कृषि मंत्रालय		
1.	बर्फ सह शीतलन संयंत्र, कोची	2009-10
परमाणु ऊर्जा विभाग		
2.	नाभिकीय ईंधन परिसर, हैदराबाद	2014-15
3.	भारी जल संयंत्र, मुम्बई	2014-15
रक्षा मंत्रालय		
4.	जलपान गृह भंडार विभाग	2011-12
वित्त मंत्रालय		
5.	राजकीय क्षराभ कार्य, नीमच	2010-11
6.	राजकीय क्षराभ कार्य, गाजीपुर	2009-10
7.	राजकीय अफीम कारखाना, गाजीपुर	2009-10
8.	राजकीय अफीम कारखाना, नीमच	2010-11
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
9.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2006-07
10.	केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान शाकीय सब्जी उद्यान, कांके, राँची	2011-12
11.	एच.एल.एल. जीवन रक्षा लिमिटेड	2014-15
12.	एच.एस.सी.सी. (इण्डिया) लिमिटेड	2014-15
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
13.	चलचित्र संभाग, मुम्बई	2009-10
14.	राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड	2013-14
विद्युत मंत्रालय		
15.	विद्युत विभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2013-14
16.	विद्युत विभाग लक्षद्वीप	2008-09
पोत परिवहन मंत्रालय		
17.	दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, नोएडा	2011-12
18.	अण्डमान नौका सेवा	2004-05
19.	पोत परिवहन सेवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2009-10
20.	समुद्री विभाग (गोदी), अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2003-04
21.	बंदरगाह व्यवस्थापक बोर्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1991-92

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम तैयार लेखें की अवधि
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		
22.	चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम	2011-12
23.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2014-15
शहरी विकास मंत्रालय		
24.	राजकीय मुद्रणालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1987-88
25.	भारत सरकार मुद्रणालय, मिण्टो रोड, नई दिल्ली	2014-15
26.	भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली	2014-15
27.	भारत सरकार मुद्रणालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली	2014-15
28.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बटूर	2014-15
29.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रेस, भुवनेश्वर	2014-15
30.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रेस, मैसूर	2014-15
31.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोलकाता	2014-15
32.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोराटी	2014-15
33.	भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक	2014-15
34.	भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़	2014-15
35.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, चण्डीगढ़	2014-15
36.	भारत सरकार मुद्रणालय, गंगटोक	2007-08
37.	भारत सरकार मुद्रणालय, सत्रगाछी, हावड़ा	2013-14

अनुबंध 2.8
(पैराग्राफ 2.7 के संदर्भ में)

2015-16 के दौरान बड़े खाते में डाली गई/माफ की गई हानियाँ तथा अशोध्य बकाया राशियों का विवरण

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	हानियों एवं अप्रतिलभ्य को बड़े खाते में डालना				के कारण	
	उपेक्षा/धोखाधड़ी आदि		अन्य कारण		वसूली से माफी	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
वित्त मंत्रालय	0	0	1	0.49	0	0
लोक सभा सचिवालय	0	0	1	0.05	0	0
राज्य सभा सचिवालय	0	0	0	0	1	0.03
परमाणु ऊर्जा विभाग	0	0	23	8.78	0	0
अंतरिक्ष विभाग	0	0	16	21.03	0	0
गृह मंत्रालय	0	0	36	333.50	0	0
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	4	3.48	0	0	2	0.97
डाक एवं दूरसंचार मंत्रालय	880	5,180.67	42	9.51	16	10.73
विद्युत मंत्रालय	0	0	2	0.77	0	0
अंडमान एवं निकोबार द्वीप प्रशासन	1	51.43	0	0	0	0
राष्ट्रपति सचिवालय	0	0	1	0.34	0	0
कुल	885	5,235.58	122	374.47	19	11.73

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

अनुबंध 3.1
(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)
प्राधिकरण तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत(-) आधिक्य (+)
क - सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	955652.58	100047.09	1055699.67	992772.02	(-) 62927.65
II. पूंजी (ऋण एवं अग्रिम सहित)	148986.57	107922.01	256908.58	239715.07	(-) 17193.51
योग	1104639.15	207969.10	1312608.25	1232487.09	(-) 80121.16
प्रभारित					
III. राजस्व	569730.50	283.40	570013.90	546699.00	(-) 23314.90
IV. पूंजी (ऋण एवं अग्रिम तथा लोक ऋण सहित)	4246001.70	0	4246001.70	3750287.21	(-) 495714.49
योग	4815732.20	283.40	4816015.60	4296986.21	(-) 519029.39
कुल योग	5920371.35	208252.50	6128623.85	5529473.30	(-) 599150.55
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			168996.21	140376.69	
कुल निवल प्रावधान			5959627.64		
कुल निवल संवितरण				5389096.61	

ख - डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	19494.06	688.50	20182.56	19654.20	(-) 528.36
II. पूंजी	336.65	11.26	347.91	335.04	(-) 12.87
योग	19830.71	699.76	20530.47	19989.24	(-) 541.23
प्रभारित					
III. राजस्व	0.20	1.85	2.05	0.47	(-) 1.58
IV. पूंजी	--	0.14	0.14	0.13	(-) 0.01
योग	0.20	1.99	2.19	0.60	(-) 1.59
कुल योग	19830.91	701.75	20532.66	19989.84	(-) 542.82
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			644.84	707.70	
कुल निवल प्रावधान			19887.82		
कुल निवल संवितरण				19282.14	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत(-) आधिक्य(+)
ग - रक्षा सेवाएं					
दत्तमत					
I. राजस्व	168732.87	661.00	169393.87	163483.09	(-) 5910.78
II. पूंजी	94451.50	0.02	94451.52	79801.95	(-) 14649.57
योग	263184.37	661.02	263845.39	243285.04	(-) 20560.35
प्रभारित					
III. राजस्व	74.51	41.90	116.41	92.69	(-) 23.72
IV. पूंजी	136.50	43.26	179.76	156.36	(-) 23.40
योग	211.01	85.16	296.17	249.05	(-) 47.12
कुल योग	263395.38	746.18	264141.56	243534.09	(-) 20607.47
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			10187.57	11976.04	
कुल निवल प्रावधान			253953.99		
कुल निवल संवितरण				231558.05	

घ -रेलवे					
दत्तमत	337008.95	1015.59	338024.54	301011.18	(-) 37013.36
प्रभारित	228.97	115.29	344.26	305.01	(-) 39.25
योग	337237.92	1130.88	338368.80	301316.19	(-)37052.61
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			108681.27	97928.71	
कुल निवल प्रावधान			229687.53		
कुल निवल संवितरण				203387.48	

योग						
कुल	दत्तमत	1724663.18	210345.47	1935008.65	1796772.55	(-)138236.10
सीएफआई	प्रभारित	4816172.38	485.84	4816658.22	4297540.87	(-)519117.35
कुल योग सीएफआई		6540835.56	210831.31	6751666.87	6094313.42	(-)657353.45
व्यय की कटौती में कुल वसूलियां				288509.89	250989.14	37520.75
विनियोग लेखे (सीएफआई) के अनुसार कुल व्यय एवं प्रावधान				6463156.98	5843324.28	619832.70
वित्त लेखे के आंकड़ों के साथ भिन्नता (अंतर)					0.00	
वित्त लेखे के अनुसार सीएफआई से कुल संवितरण					5843324.28	

टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण के लिए यह अनुदान कहलाता है।

सीएफआई: भारत की संचित निधि

अनुबंध 3.2
(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)
अनुदानों/विनियोगों में निवल बचतें

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल बचत(-) निवल आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
क - सिविल						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	63137.88	17193.51	210.22	--	(-) 62927.66	(-) 17193.51
अनुदानों की संख्या	94	68	1	--	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	23315.04	495714.49	0.15	--	(-) 23314.89	(-) 495714.49
विनियोगों की संख्या	33	11	1	--	--	--
ख - डाक						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	528.36	12.87	--	--	(-) 528.36	(-) 12.87
अनुदानों की संख्या	1	1	--	--	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	1.58	0.01	--	--	(-) 1.58	(-) 0.01
विनियोगों की संख्या	1	1	--	--	--	--
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	5910.78	14649.57	--	--	(-) 5910.78	(-) 14649.57
अनुदानों की संख्या	5	1	--	--	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	23.72	23.40	--	--	(-) 23.72	(-) 23.40
विनियोगों की संख्या	5	1	--	--	--	--
घ- रेलवे						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	22392.12	14696.87	75.63	--	(-) 22316.49	(-) 14696.87
अनुदानों की संख्या	14	1	1	--	--	--
प्रभारित(₹ करोड़ में)	6.95	32.54	0.24	--	(-) 6.71	(-) 32.54
विनियोगों की संख्या	5	1	5	--	--	--

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

अनुबंध 3.3

(पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में)

**सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत प्रभारित तथा दत्तमत प्राधिकरण एवं संवितरणों
का वर्ष-वार समानुपात**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	वर्ष	प्राधिकरण			संवितरण				
		दत्तमत	प्रभारित	कुल	दत्तमत	प्रभारित	कुल	निम्न की प्रतिशतता	
								दत्तमत	प्रभारित
1.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
2.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
3.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
4.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
5.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74
6.	2005-06	330051	1193138	1523189	301269	1288817	1590086	19	81
7.	2006-07	449178	1635986	2085164	415785	1670413	2086198	20	80
8.	2007-08	551115	1894750	2445865	519214	1818879	2338093	22	78
9.	2008-09	780316	2440552	3220868	744116	2404957	3149073	24	76
10.	2009-10	830706	3525606	4356312	768458	3349254	4117712	19	81
11.	2010-11	986064	3697775	4683839	918675	3104657	4023332	23	77
12.	2011-12	1060295	3875262	4935557	921280	3840960	4762240	19	81
13.	2012-13	1155063	4190305	5345368	977071	3816395	4793466	20	80
14.	2013-14	1222190	4493627	5715817	1014393	3975665	4990058	20	80
15.	2014-15	1228732	4596843	5825575	1078524	4211160	5289684	20	80
16.	2015-16	1312608	4816016	6128624	1232487	4296986	5529473	22	78

अनुबंध 3.4

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी
(₹ 5 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
सिविल				
15 - दूरसंचार विभाग				
1.	2071.01.105.02-परिवार पेंशन	मू. पु. 750.00 (+)190.00	1045.83	105.83
21 - रक्षा मंत्रालय				
2.	2052.00.090.56- सीमा सड़क संगठन	मू. पु. 372.57 (-)2.15	380.46	10.04
3.	2055.00.104.02- जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैंट्री के संबंध में देय राशि	मू. पु. 1050.05 (-)84.32	987.54	21.81
4.	4047.00.037.01-तटरक्षक संगठन	मू. पु. 1200.00 300.00	1516.84	16.84
22 - रक्षा पेंशन				
5.	2071.02.101.01 -थल सेना-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. अ. पु. 46941.23 5260.21 (+)41.09	52394.58	152.05
6.	2071.02.102.103. नौ सेना- अवकाश नकदीकरण	मू. पु. 187.56 (-)27.33	170.30	10.07
7.	2071.02.103.03 - वायु सेना - अवकाश नकदीकरण	मू. अ. पु. 293.88 63.72 (-)12.94	349.90	5.24
33 - विदेश मंत्रालय				
8.	2061.00.800.08 - हज पर व्यय	मू. पु. 5.28 (+)0.17	10.77	5.32
9.	3605.00.101.11-नेपाल को सहायता	मू. पु. 420.00 (-)120.00	309.94	9.94
10.	3605.00.101.15- अन्य विकास शील देशों को सहायता	मू. पु. 83.44 (+)15.00	103.50	5.06
11.	3605.00.101.17- आई.टी.ई.सी (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम)	मू. 180.00	196.17	16.17
12.	3605.00.101.33-अफगानिस्तान	मू. 676.00	880.44	7.50

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी
(₹ 5 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
	को सहायता	अ. पु.	0.0050 (+)196.94	
36 -विनियोग-ब्याज भुगतान				
13.	2049.01.200.03- क्षतिपूर्ति एवं अन्य प्राधिकार पत्र	मू. पु.	1770.56 (-)196.48	1600.01 25.93
14.	2049.03.104.04- राज्य रेलवे भविष्य निधि	मू. पु.	2533.21 (+)20.30	2636.41 82.90
15.	2049.05.105.01-रेलवे पेंशन निधि	मू. पु.	85.91 (+)1.30	137.60 50.39
41 - पेंशन				
16.	2071.01.101.01 - साधारण पेंशन	मू. अ. पु.	14051.98 400.00 (+)322.48	14835.93 61.47
45 अप्रत्क्ष कर				
17.	2038.00.101.01-समाहरणालय	मू. पु.	2817.58 (-)192.70	2645.77 20.89
18.	2038.00.800.01-भूमि सीमा शुल्क संग्रहण	मू. पु.	32.73 (-)26.30	13.90 7.47
48 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
19.	2210.05.105.29-राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान, बेंगलोर को अनुदान	मू. अ. पु.	275.00 0.01 (+)3.00	284.00 5.99
55-पुलिस				
20.	2055.00.102.01-स्थापना	मू. अ. पु.	13648.56 350.27 (+)26.48	14031.52 6.21
21.	4055.00.213.03-सीमा चौकी	मू. पु.	181.27 (-)57.11	150.14 25.98
56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय				
22.	2235.60.107.03-केन्द्र सरकार पेंशन	मू. पु.	750.00 (+)30.00	789.47 9.47
66 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय				
23.	2851.00.102.77-अवसंरचना विकास एवं क्षमता निर्माण (भूतपूर्व	मू. अ.	194.50 0.01	143.97 57.30

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी
(₹ 5 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
	एम.एस.एम.ई. क्लस्टर विकास कार्यक्रम और एम.एस.एम.ई. वृद्धि केन्द्र)	पु. (-)107.84		
84 - ग्रामीण विकास विभाग				
24.	2505.02.101.05-सूचना, शिक्षा और संचार	मू. 15.00 पु. (+)24.70	59.23	19.53
98 - जनजातीय मामलों का मंत्रालय				
25.	2225.02.796.08-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा	मू. 98.90 पु. (-)56.34	49.21	6.65
अनुदान सं -104 - शहरी विकास विभाग				
26.	4217.60.190.13-नागपुर मेट्रो	मू. 113.53 पु. (-)64.08	77.47	28.02
105 - लोक निर्माण कार्य				
27.	2059.01.799.02-अन्य कार्यों के लिए अग्रिम	मू. 2.00	13.03	11.03
डाक सेवाएं				
14 - डाक विभाग				
28.	3201.05.053.01-भवन	मू. 80.59 अ. 2.77 पु. (+)0.29	91.81	8.16
29.	3201.07.101.03-भूतपूर्व संयुक्त डाक एवं दूरसंचार विभाग के पेंशनर को भुगतान	मू. 17.20	23.31	6.11
30.	3201.60.102.02-अतिरिक्त विभागीय एजेंट समूह बीमा निधि पर ब्याज	मू. 14.00 पु. (-)1.40	17.84	5.24
31.	5201.00.104.60-ऐरो परियोजना (इंडक्शन प्रौद्योगिकी)	मू. 29.62 पु. (+)3.00	40.82	8.20
32.	5201.00.104.62-प्रबंधन परियोजना इकाई	मू. 174.92 अ. 8.68 पु. (+)6.33	196.05	6.12

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी
(₹ 5 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय	
रक्षा सेवाएं					
23 - रक्षा सेवाएं-थल सेना					
33.	2076.00.110-भण्डार	मू. पु.	16695.83 (-)975.91	17166.31	1446.39
34.	2076.00.113-राष्ट्रीय कैडेट कोर	मू. अ. पु.	1015.39 00.0050 (+)66.88	1113.71	31.44
24 - रक्षा सेवाएं नौ सेना					
35.	2077.00.105 - परिवहन	मू. पु.	410.00 (-)15.01	412.13	17.14
36.	2077.00.106-मरम्मत एवं पुर्नसंकलन	मू. पु.	757.00 (-)3.00	775.82	21.82
37.	2077.00.800-अन्य व्यय	मू. पु.	500.59 (+)121.45	655.78	33.74
28 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
38.	4076.01.202 - निर्माण कार्य (प्रभारित)	मू. पु.	21.55 (+)3.00	34.50	9.95
39.	4076.02.103-अन्य उपस्कर	मू. पु.	2558.64 (-)8.64	2655.39	105.39
40.	4076.03.101 - एयर क्राफ्ट एवं ऐयरो इंजन	मू. पु.	18866.01 (+)122.80	19156.69	167.88
41.	4076.03.202 - निर्माण कार्य	मू. पु.	1570.68 (+)249.66	1828.12	7.78
कुल				2660.46	

मू.- मूल; अ.- अनुपूरक; पु.- पुनर्विनियोग

अनुबंध 3.5

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक¹ की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
सिविल				
राजस्व-दत्तमत				
1.	01-कृषि अनुसंधान एवं सहकारिता विभाग	16959.47	1658.72	10
2.	02-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	6320.03	747.13	12
3.	03-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग	2120.28	256.13	12
4.	05-नाभिकीय विद्युत योजना विभाग	4457.89	813.87	18
5.	08-उर्वरक विभाग	77100.56	536.14	01
6.	12-वाणिज्य विभाग	4990.07	161.28	03
7.	13-औद्योगिक नीति एवं प्रचार विभाग	2713.59	295.34	11
8.	16-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2611.85	131.98	05
9.	20-संस्कृति मंत्रालय	2121.56	165.36	08
10.	21-रक्षा मंत्रालय	20188.59	590.61	03
11.	29-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	2205.78	510.90	23
12.	30-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	14330.89	849.71	06
13.	31-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1497.59	263.52	18
14.	33-विदेश मंत्रालय	11248.02	150.85	01
15.	34-आर्थिक कार्य विभाग	17941.94	6185.08	34
16.	35-वित्तीय सेवाएं विभाग	15811.86	300.91	02
17.	37-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	39678.78	7550.00	19
18.	41-पेंशन	27645.00	177.72	01
19.	42-भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	3545.34	227.00	06
20.	44-प्रत्यक्ष कर	4832.36	208.70	04
21.	45-अप्रत्यक्ष कर	5000.99	553.67	11
22.	48-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	32902.39	1001.55	03
23.	51-भारी उद्योग विभाग	483.64	220.29	46

¹ बचतों में आर्थिक उपाय के भाग के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा लागू अनिवार्य कटौती भी शामिल है।

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक¹ की बचतों को
दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
24.	55-पुलिस	54824.25	205.51	01
25.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2233.97	224.19	10
26.	58-आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	5634.56	3868.40	69
27.	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	69861.55	8754.13	13
28.	60-उच्चतर शिक्षा विभाग	26855.37	1305.43	05
29.	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	14802.92	210.76	01
30.	62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	5646.15	826.98	15
31.	64-विधि एवं न्याय	3420.92	470.80	14
32.	66-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	3010.59	179.13	06
33.	67-खनन मंत्रालय	1100.85	165.69	15
34.	71-पंचायती राज मंत्रालय	394.75	186.08	47
35.	76-योजना मंत्रालय	1846.86	462.38	25
36.	77-विद्युत मंत्रालय	8719.54	856.27	10
37.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	23433.94	1373.54	06
38.	84-ग्रामीण विकास विभाग	129030.01	9239.37	07
39.	86-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3844.01	199.61	05
40.	90-कौशल विकास एवं उधमिता मंत्रालय	1543.46	535.99	35
41.	91-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	6062.63	570.65	09
42.	94-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4816.76	645.37	13
43.	96-वस्त्र मंत्रालय	4402.25	385.45	09
44.	97-पर्यटन मंत्रालय	1588.05	687.73	43
45.	98-जनजातीय कार्य मंत्रालय	778.61	159.07	20
46.	102-दमन एवं दीव	1377.52	279.00	20
47.	104-शहरी विकास विभाग	10329.18	4053.46	39
48.	107-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	9064.87	1314.82	15
49.	108-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	17930.46	689.78	04
राजस्व - प्रभारित				
50.	36-विनियोग-ब्याज भुगतान	476089.17	18818.79	04
51.	37-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	88864.52	4285.73	05

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक¹ की बचतों को
दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
52.	98-जनजातीय कार्य मंत्रालय	3970.61	158.30	04
पूँजीगत - दत्तमत				
53.	04-परमाणु ऊर्जा	4513.69	472.84	10
54.	15- दूरसंचार विभाग	2590.52	268.71	10
55.	18-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	20587.26	213.70	01
56.	21-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	3953.03	250.86	06
57.	29-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	462.00	120.21	26
58.	33-विदेश मंत्रालय	3728.80	353.02	09
59.	34-आर्थिक कार्य विभाग	78412.12	1444.68	02
60.	35-वित्तीय सेवाएं विभाग	29716.24	2150.21	07
61.	43-राजस्व विभाग	106.00	105.99	100
62.	44-प्रत्यक्ष कर	576.20	479.02	83
63.	45-अप्रत्यक्ष कर	663.61	568.21	86
64.	48-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1017.37	126.23	12
65.	51-भारी उद्योग विभाग	1349.01	685.25	51
66.	55-पुलिस	9259.78	201.74	02
67.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	358.54	287.56	80
68.	77-विद्युत मंत्रालय	2272.52	919.56	40
69.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	69326.81	6407.74	09
70.	91-समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	462.24	200.22	43
71.	93-अंतरिक्ष विभाग	3464.52	420.72	12
72.	100-चण्डीगढ़	571.01	167.69	29
73.	104-शहरी विकास विभाग	10202.10	255.71	03
74.	105-लोक निर्माण कार्य	749.79	209.27	28
पूँजीगत - प्रभारित				
75.	37-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	12600.00	101.80	01
76.	39-विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान	4233227.78	495570.81	12

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक¹ की बचतों को
दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
रक्षा सेवाएं				
राजस्व - दत्तमत				
77.	23-रक्षा सेवाएं-थल सेना	106994.29	972.98	01
78.	24-रक्षा सेवाएं- नौ सेना	16110.63	795.55	05
79.	25-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	24295.80	2452.70	10
80.	26-रक्षा आयुद कारखाने	15358.69	1238.42	08
81.	27-रक्षा सेवाएं अनुसंधान एवं विकास	6634.46	451.14	07
पूंजीगत - दत्तमत				
82.	28-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	94451.52	14649.57	16
डाक सेवाएं				
पूंजीगत - दत्तमत				
83.	14-डाक विभाग	20182.56	528.36	03
रेलवे				
राजस्व - दत्तमत				
84.	3-सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	6992.79	803.11	11
85.	4-स्थायी मार्गों की मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा निर्माण कार्य	11657.55	770.42	07
86.	5-चालन शक्ति की मरम्मत एवं अनुरक्षण	5464.56	191.56	04
87.	6-गाड़ी एवं वैगन की मरम्मत एवं रखरखाव	12545.12	593.15	05
88.	7-संयंत्र एवं उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण	7238.18	984.22	14
89.	8-संचालन व्यय-रोलिंग स्टॉक एवं उपकरण	11387.93	987.26	09
90.	9- संचालन व्यय-ट्रैफिक	22124.02	1583.59	07
91.	10- संचालन व्यय-ईंधन	30295.84	4229.24	14
92.	11-कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाएं	5861.45	544.78	09
93.	12-विविध कार्य व्यय	6220.07	486.04	08
94.	13-भविष्य निधि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ	34574.38	2646.55	08
95.	14-विनियोग निधि	57125.71	6459.74	11

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक¹ की बचतों को
दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
96.	15-सामान्य राजस्व को लाभांश-सामान्य राजस्व और अत्यधिक पूंजीकरण के परिशोधन से लिए गए कर्जे का पर्नभुगतान	10810.74	2088.23	19
पूंजीगत - दत्तमत				
97.	16-पूंजीगत	91561.86	12720.22	14
98.	16- रेलवे निधियां (आरक्षित मूल्यहास निधि, मूल पूंजीनिधि, विकास निधि)	20294.81	1917.72	09
कुल			654745.17	

अनुबंध 3.6

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

**विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली
विवरण**

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान का प्रतिशत
			(₹ करोड़ में)		
सिविल					
राजस्व (दत्तमत्त)					
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	2013-14	22299.40	3317.48	15
		2014-15	22603.11	3114.80	14
		2015-16	16959.47	1658.72	10
2.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	2013-14	5729.20	849.26	15
		2014-15	6144.44	1304.41	21
		2015-16	6320.03	747.13	12
3.	पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मत्स्य पालन विभाग	2013-14	2534.50	394.49	16
		2014-15	2726.16	517.57	19
		2015-16	2120.28	256.13	12
4.	नाभिकीय उर्जा योजना विभाग	2013-14	4054.87	289.19	07
		2014-15	4223.49	499.24	12
		2015-16	4457.89	813.87	18
5.	उर्वरक विभाग	2013-14	72629.72	1326.67	02
		2014-15	77112.31	2020.45	03
		2015-16	77100.56	536.14	01
6.	वाणिज्य विभाग	2013-14	4441.85	129.38	03
		2014-15	5552.02	416.64	08
		2015-16	4990.07	161.28	03
7.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2013-14	2872.50	849.55	30
		2014-15	3734.12	281.51	08
		2015-16	2611.85	131.98	05
8.	संस्कृति मंत्रालय	2013-14	2125.06	165.36	08
		2014-15	2443.06	397.93	16
		2015-16	2121.56	165.36	08
9.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	2013-14	15265.70	3324.67	22
		2014-15	15377.50	3176.04	21
		2015-16	14330.89	849.71	06
10.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2013-14	1492.54	334.54	22

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

**विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली
विवरण**

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान का प्रतिशत
			(₹ करोड़ में)		
		2014-15	1515.07	281.93	19
		2015-16	1497.59	263.52	18
11.	आर्थिक कार्य विभाग	2013-14	10291.10	188.59	02
		2014-15	16157.52	885.54	05
		2015-16	17941.94	6185.08	34
12.	वित्तीय सेवाएं विभाग	2013-14	11468.99	746.54	07
		2014-15	11745.25	3834.92	33
		2015-16	15811.86	300.91	02
13.	राज्य एवं केन्द्र शासित सरकारों को अन्तरण	2013-14	101945.69	17698.36	17
		2014-15	70757.00	9438.73	13
		2015-16	39678.78	7550.00	19
14.	प्रत्यक्ष कर	2013-14	3771.91	136.63	04
		2014-15	4342.89	249.64	06
		2015-16	4832.36	208.70	04
15.	अप्रत्यक्ष कर	2013-14	3860.78	129.40	03
		2014-15	4884.02	719.78	15
		2015-16	5000.99	553.67	11
16.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2013-14	33012.35	5474.46	17
		2014-15	36481.41	6505.28	18
		2015-16	32902.39	1001.55	03
17.	भारी उद्योग विभाग	2013-14	930.97	382.86	41
		2014-15	1139.56	171.44	15
		2015-16	483.64	220.29	46
18.	पुलिस	2013-14	45609.12	1599.04	04
		2014-15	51031.41	419.65	01
		2015-16	54824.25	205.51	0.37
19.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2013-14	1969.15	128.76	07
		2014-15	2230.27	557.91	25
		2015-16	2233.97	224.19	10
20.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	2013-14	1468.06	381.82	26

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

**विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली
विवरण**

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान का प्रतिशत
			(₹ करोड़ में)		
		2014-15	6008.68	3273.28	54
		2015-16	5634.56	3868.40	69
21.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2013-14	77130.05	10152.69	13
		2014-15	82695.14	14615.25	18
		2015-16	69861.55	8754.13	13
22.	उच्चतर शिक्षा विभाग	2013-14	26950.08	2417.46	09
		2014-15	27656.08	4486.90	16
		2015-16	26855.37	1305.43	05
23.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	2013-14	3006.89	200.12	07
		2014-15	3287.18	158.45	05
		2015-16	14802.92	210.76	01
24.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2013-14	5254.97	849.56	16
		2014-15	5783.82	1474.27	25
		2015-16	5646.15	826.98	15
25.	विधि एवं न्याय	2013-14	1971.17	112.77	06
		2014-15	1992.88	241.96	12
		2015-16	3420.92	470.80	14
26.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2013-14	3210.95	660.26	21
		2014-15	3693.51	932.51	25
		2015-16	3010.59	179.13	06
27.	पंचायती राज मंत्रालय	2013-14	7200.70	3738.62	52
		2014-15	7000.70	3610.14	52
		2015-16	394.75	186.08	47
28.	योजना मंत्रालय	2013-14	7181.53	5798.92	81
		2014-15	1828.38	537.06	29
		2015-16	1846.86	462.38	25
29.	विद्युत मंत्रालय	2013-14	8045.87	4309.22	54
		2014-15	8228.16	3590.65	44
		2015-16	8719.54	856.27	10
30.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2013-14	17203.60	533.44	03
		2014-15	20103.39	1430.69	07
		2015-16	23433.94	1373.54	06
31.	ग्रामीण विकास विभाग	2013-14	113304.88	15817.28	14

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

**विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली
विवरण**

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान का प्रतिशत
			(₹ करोड़ में)		
		2014-15	121746.83	13116.63	11
		2015-16	129030.01	9239.37	07
32.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2013-14	3372.22	776.36	23
		2014-15	3546.03	646.11	18
		2015-16	3844.01	199.61	05
33.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2013-14	6420.37	1203.02	19
		2014-15	5750.77	1013.30	18
		2015-16	6062.63	570.65	09
34.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2013-14	4949.36	109.59	02
		2014-15	4905.79	840.74	17
		2015-16	4816.76	645.37	13
35.	वस्त्र मंत्रालय	2013-14	5519.98	1592.79	29
		2014-15	5547.74	1657.68	30
		2015-16	4402.25	385.45	09
36.	पर्यटन मंत्रालय	2013-14	1355.32	328.12	24
		2014-15	1965.22	979.89	50
		2015-16	1588.05	687.73	43
37.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	2013-14	443.74	146.39	33
		2014-15	517.40	172.31	33
		2015-16	778.61	159.07	20
38.	शहरी विकास विभाग	2013-14	1281.32	166.59	13
		2014-15	8713.64	4553.51	52
		2015-16	10329.18	4053.46	39
39.	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	2013-14	1902.13	906.47	48
		2014-15	15143.17	9728.38	64
		2015-16	9064.87	1314.82	15
40.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2013-14	20640.02	2601.43	13
		2014-15	21193.91	2652.77	13
		2015-16	17930.46	689.78	04
राजस्व (प्रभारित)					
41.	विनियोग-ब्याज भुगतान	2013-14	400500.66	5301.07	01
		2014-15	449882.66	24784.40	06
		2015-16	476089.17	18818.79	04

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

**विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली
विवरण**

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान का प्रतिशत
			(₹ करोड़ में)		
42.	राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को अंतरण	2013-14	62134.40	8229.86	13
		2014-15	64675.00	2861.68	04
		2015-16	88864.52	4285.73	05
43.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	2013-14	3856.58	375.08	10
		2014-15	3913.63	476.04	12
		2015-16	3970.61	158.30	04
पूँजीगत (दत्तमत)					
44.	परमाणु उर्जा	2013-14	4111.36	1180.55	29
		2014-15	4408.46	1024.20	23
		2015-16	4513.69	472.84	10
45.	दूरसंचार विभाग	2013-14	2510.30	2293.77	91
		2014-15	3798.01	2859.02	75
		2015-16	2590.52	268.71	10
46.	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	2013-14	1838.42	742.03	40
		2014-15	1620.72	439.57	27
		2015-16	3953.03	250.86	06
47.	आर्थिक कार्य विभाग	2013-14	69431.73	63462.80	91
		2014-15	12515.86	2621.50	21
		2015-16	78412.12	1444.68	02
48.	वित्तीय सेवाएं विभाग	2013-14	30900.40	14017.40	45
		2014-15	24795.03	13725.47	55
		2015-16	29716.24	2150.21	07
49.	प्रत्यक्ष कर	2013-14	590.00	144.00	24
		2014-15	752.01	682.14	91
		2015-16	576.20	479.02	83
50.	अप्रत्यक्ष कर	2013-14	149.26	126.95	85
		2014-15	271.32	142.52	53
		2015-16	663.61	568.21	86
51.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2013-14	2862.69	1585.55	55
		2014-15	1964.52	1092.16	56
		2015-16	1017.37	126.23	12
52.	पुलिस	2013-14	9106.00	2760.84	30
		2014-15	9863.51	3924.49	40

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

**विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली
विवरण**

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान का प्रतिशत
			(₹ करोड़ में)		
		2015-16	9259.78	201.74	02
53.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2013-14	32264.15	2950.74	09
		2014-15	37436.27	1665.45	04
		2015-16	69326.81	6407.74	09
54.	अतरिक्ष विभाग	2013-14	3738.96	1297.91	35
		2014-15	3656.58	1205.72	33
		2015-16	3464.52	420.72	12
55.	शहरी विकास विभाग	2013-14	6945.08	863.04	12
		2014-15	8826.22	2137.48	24
		2015-16	10202.10	255.71	03
पूँजीगत (प्रभारित)					
56.	राज्य एवं केन्द्र शासित सरकारों को अंतरण	2013-14	12000.00	1000.25	08
		2014-15	13000.00	1102.68	08
		2015-16	12600.00	101.80	01
57.	विनियोग-कर्ज अदायगी	2013-14	4014248.55	502957.23	13
		2014-15	4064025.03	356325.38	09
		2015-16	4233227.78	495570.81	12
रक्षा सेवाएं					
राजस्व (दत्तमत)					
58.	रक्षा सेवाएं - थल सेना	2013-14	88599.71	879.63	01
		2014-15	100635.34	1496.71	01
		2015-16	106994.29	972.98	01
पूँजीगत (दत्तमत)					
59.	रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2013-14	86685.31	7592.40	09
		2014-15	94257.01	12515.11	13
		2015-16	94451.52	14649.57	16
रेलवे					
पूँजीगत (दत्तमत)					
60.	रेलवे निधियाँ-मूल्यहास आरक्षित निधि विकास निधि एवं पूँजीगत निधि	2013-14	16249.85	4788.64	29
		2014-15	17560.95	169.83	01
		2015-16	20294.81	1917.72	09

अनुबन्ध 3.7

(पैराग्राफ 3.8 के संदर्भ में)

मामले जिनमें अभ्यर्पित की गई राशि बचतों से अधिक थीं।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	अनुभागो के अन्तर्गत बचतें	अभ्यर्पित की गई राशि	अभ्यर्पित की गई अधिशेष राशि
सिविल				
राजस्व -दत्तमत				
1.	68- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	83.31	84.07	0.76
2.	98- जनजातीय कार्य मंत्रालय	159.07	166.44	7.37
3.	109-युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	80.31	81.34	1.03
राजस्व प्रभारित				
4.	73- कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय	7.02	7.18	0.16
पूँजीगत-दत्तमत खाद्य				
5.	18-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	213.70	213.71	0.01
6.	33-विदेश मंत्रालय	353.02	359.00	5.98
7.	73- कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय	22.19	22.23	0.04
8.	89 पोत परिवहन मंत्रालय	86.45	90.33	3.88
पूँजीगत-प्रभारित				
9.	39-विनियोग-कर्ज अदायगी	495570.81	539876.45	44305.64
डाक				
पूँजीगत- दत्तमत				
10.	14-डाक विभाग	12.87	13.11	0.24

अनुबन्ध 3.8

(पैराग्राफ 3.9 के सन्दर्भ में)

ऐसे मामले जिनमें 30/31 मार्च 2016 को बचत का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया तथा व्यपगत राशि के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2016 को	30/31 मार्च को बचत की तुलना में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि जो व्यपगत हो गई
				अभ्यर्पित राशि		(₹ करोड़ में)
सिविल						
राजस्व (दत्तमत)						
1.	1-कृषि एवं सहकारिता विभाग	1658.72	1451.64	1451.64	88	207.08
2.	2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	747.13	745.43	745.43	100	1.70
3.	3-पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन विभाग	256.13	205.64	205.64	80	50.49
4.	5-नाभिकीय उर्जा योजना	813.87	89.00	89.00	11	724.87
5.	8-उर्वरक विभाग	536.14	536.09	536.09	100	0.05
6.	12-वाणिज्य विभाग	161.28	129.17	129.17	80	32.11
7.	13-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	295.34	253.50	253.50	86	41.84
8.	16-इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	131.98	0	0	0	131.98
9.	20-संस्कृति मंत्रालय	165.36	96.87	96.87	59	68.49
10.	21-रक्षा मंत्रालय	590.61	528.60	528.60	90	62.01
11.	29-उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	510.90	366.58	366.58	72	144.32
12.	30-पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	849.71	849.10	849.10	100	0.61
13.	31-भू विज्ञान मंत्रालय	263.52	210.99	210.99	80	52.53
14.	33-विदेश मंत्रालय	150.85	27.66	27.66	18	123.19
15.	34-आर्थिक कार्य विभाग	6185.08	6100.30	6100.30	99	84.78
16.	35-वित्तीय सेवा विभाग	300.91	296.16	296.16	98	4.75
17.	37-राज्य एवं केन्द्रशासित सरकारों को अन्तरण	7550.00	7550.00	7550.00	100	--
18.	41-पेंशन	178.50	0	0	0	178.50
19.	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	227.00	213.97	213.97	94	13.03
20.	44-प्रत्यक्ष कर	208.70	197.00	197.00	94	11.70

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

ऐसे मामले जिनमें 30/31 मार्च 2016 को बचत का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया तथा व्यपगत राशि के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2016 को	30/31 मार्च को बचत की तुलना में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि जो व्यपगत हो गई
				अभ्यर्पित राशि		(₹ करोड़ में)
21.	45-अप्रत्यक्ष कर	553.67	489.95	489.95	88	63.72
22.	48-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1001.55	572.60	572.60	57	428.95
23.	51-भारी उद्योग विभाग	220.29	55.80	55.80	25	164.49
24.	55-पुलिस	205.51	114.96	114.96	56	90.55
25.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	224.19	223.51	223.51	100	0.68
26.	58-आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	3868.40	3688.92	3688.92	95	179.48
27.	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	8754.13	8722.72	8722.72	100	31.41
28.	60-उच्चतर शिक्षा विभाग	1305.43	1218.21	1218.21	93	87.22
29.	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	210.76	195.64	195.64	93	15.12
30.	62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	826.98	667.74	667.74	81	159.24
31.	64-विधि एवं न्याय	470.80	394.98	394.98	84	75.82
32.	66-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	179.13	119.00	119.00	66	60.13
33.	67-खनन मंत्रालय	165.69	161.14	161.14	97	4.55
34.	71-पंचायती राज मंत्रालय	186.08	185.98	185.98	100	0.1
35.	76-योजना मंत्रालय	462.38	442.47	442.47	96	19.91
36.	77-विद्युत मंत्रालय	856.27	615.66	615.66	72	240.61
37.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1373.54	733.54	733.54	53	640.00
38.	84-ग्रामीण विकास विभाग	9239.37	269.46	269.46	03	8969.91
39.	86-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	199.61	148.28	148.28	74	51.33
40.	90-कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	535.99	25.00	25.00	05	510.99
41.	91-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	570.65	568.35	568.35	100	2.30
42.	94-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	645.37	638.66	638.66	99	6.71
43.	96-वस्त्र मंत्रालय	385.45	384.49	384.49	100	0.96

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

ऐसे मामले जिनमे 30/31 मार्च 2016 को बचत का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया तथा व्यपगत राशि के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2016 को	30/31 मार्च को बचत की तुलना में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि जो व्यपगत हो गई
				अभ्यर्पित राशि		(₹ करोड़ में)
44.	97-पर्यटन मंत्रालय	687.73	677.09	677.09	98	10.64
45.	98-जनजातीय कार्य मंत्रालय	159.07	(166.44)	(166.44)	105	--
46.	102-दमन एवं दीव	279.00	274.91	274.91	99	4.09
47.	104-शहरी विकास विभाग	4053.46	1301.71	1301.71	32	2751.75
48.	107-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	1314.82	62.20	62.20	05	1252.62
49.	108-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	689.78	678.12	678.12	98	11.66
राजस्व (प्रभारित)						
50.	36-विनियोग ब्याज भुगतान	18818.79	17856.90	17856.90	95	961.89
51.	37-राज्य एवं केन्द्र शासित सरकारों को अन्तरण	4285.73	4285.73	4285.73	100	--
52.	98-जनजातीय कार्य मंत्रालय	158.30	158.30	158.30	100	--
पूँजीगत (दत्तमत)						
53.	4-परमाणु उर्जा	472.84	360.93	360.93	76	111.91
54.	15- दूरसंचार विभाग	268.71	266.95	266.95	99	1.76
55.	18- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	213.70	213.71	153.15	72	--
56.	21-रक्षा मंत्रालय	250.86	232.52	232.52	93	18.34
57.	29-उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	120.21	120.15	120.15	100	0.06
58.	33-विदेश मंत्रालय	353.02	(359.00)	(359.00)	102	--
59.	34-आर्थिक कार्य विभाग	1444.68	553.50	553.50	38	891.18
60.	35-वित्तीय सेवा विभाग	2150.21	1150.20	1150.20	53	1000.01
61.	43-राजस्व विभाग	105.99	105.66	105.66	100	0.33
62.	44-प्रत्यक्ष कर	479.02	472.95	472.95	99	6.07
63.	45-अप्रत्यक्ष कर	568.21	534.81	534.81	94	33.40
64.	48-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	126.23	97.75	97.75	77	28.48
65.	51-भारी उद्योग विभाग	685.25	651.74	651.74	95	33.51
66.	55-पुलिस	201.74	162.62	162.62	81	39.12
67.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	287.56	281.83	281.83	98	5.73

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

ऐसे मामले जिनमें 30/31 मार्च 2016 को बचत का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया तथा व्यपगत राशि के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2016 को	30/31 मार्च को बचत की तुलना में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि जो व्यपगत हो गई
				अभ्यर्पित राशि		(₹ करोड़ में)
68.	77-विद्युत मंत्रालय	919.56	918.17	918.17	100	1.39
69.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	6407.74	5571.06	5571.06	87	836.68
70.	91- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	200.22	200.22	200.22	100	--
71.	93-अंतरिक्ष विभाग	420.72	387.38	387.38	92	33.34
72.	100-चंडीगढ़	167.69	167.68	167.68	100	0.01
73.	104-शहरी विकास विभाग	255.71	0	0	0	255.71
74.	105-लोक निर्माण	209.27	28.69	28.69	14	180.58
पूँजीगत (प्रभारित)						
75.	37-राज्य एवं केन्द्रशासित सरकारों को अंतरण	101.80	101.80	101.80	100	--
76.	39-विनियोग-कर्ज अदायगी	495570.81	(539876.45)	(539876.45)	109	--

टिप्पण : कोष्ठक में आंकड़े दर्शाते हैं कि अभ्यर्पित राशि बचत से अधिक हैं।

अनुबन्ध 3.9

(पैराग्राफ 3.12 के सम्बन्ध में)

ऐसे लघु/उप-शीर्ष पर पुनर्विनियोजन जो गैर-उपयोगिता के आधार पर विवेकहीन थे
(₹5 करोड़ से ज्यादा तथा अधिक पुनर्विनियोजन)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष के तहत पुनर्विनियोजन की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत
सिविल						
1.	5-नाभिकीय उर्जा योजनाएं	2801.03.101.08-पीएचडब्ल्यूआर (दाब जल रिपक्टर) अन्य स्टेशनों के लिए ईंधन	मू. अ.	2478.92 209.24	12.58	678.81
2.	12-वाणिज्य विभाग	3453.00.800.09-अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	मू.	3.50	5.00	6.27
3.	15-दूरसंचार विभाग	2071.01.104.01-साधारण पेंशन	मू. अ.	1315.00 36.46	103.54	125.99
4.	16-इलैक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	4859.02.004.18-इलैक्ट्रानिक्स/आई टी एच डब्ल्यू (सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर) निर्माण (वृहद फैब) का प्रचार	अ.	0.01	19.99	20.00
5.	33-विदेश मंत्रालय	2061.00.800.13-मिशनो को विशेष अनुदान	मू. अ.	13.51 10.00	6.61	7.68
6.	36-विनियोग - ब्याज भुगतान	2049.01.122-1.4.99 से लघु बचतों के निवल संग्रहण के प्रति जारी केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों पर निवेश पर ब्याज	मू.	3478.23	189.15	213.30
7.		2049.03.104.02-अन्य राज्य भविष्य निधियाँ	अ.	2620.28	149.01	159.76
8.	58-आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	3475.00.108.05-राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एनयूएलएम)	मू. अ.	5.00 0.01	5.79	6.35
9.	104-शहरी विकास विभाग	2217.05.191.15- 100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन	मू.	20.00	260.00	272.47
10.		2217.05.191.16-शहरी जीर्णोधार मिशन- 500 निवास	मू.	20.00	69.74	73.33
11.		4216.01.700.59-राज्य सभा	मू. अ.	10.85 0.01	6.25	6.37
12.	107-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पूर्णोद्धार मंत्रालय	2711.01.800.30-नदी प्रबंधन क्रियाकलाप एवं सीमा क्षेत्र से सम्बन्धित कार्य	मू. अ.	59.50 0.01	8.00	11.06

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

क्र.सं	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष के तहत पुनर्विनियोजन की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत
डाक सेवाएँ						
13.	14-डाक विभाग	3201.03.101.03-मुख्य डाकघर में छोटी बचतें	मू. अ.	237.39 2.00	13.68	14.38
14.		3201.07.101.01-सेवानिवृत्ति एवं पेंशन भत्ते	मू. अ.	2617.94 196.06	52.40	61.53
रक्षा सेवाएँ						
15.	23-रक्षा सेवाएँ-थलसेना	2076.00.800-अन्य व्यय	मू. अ.	2286.18 0.01	109.81	153.12
				कुल	1011.55	

अनुबन्ध 3.10

(पैराग्राफ 3.13 के सम्बन्ध में)

**लघु/उपशीर्ष से पुनर्विनियोग अन्तिम अधिशेष में परिणत व्यय
(₹ 5 करोड़ एवं अधिक के पुनर्विनियोग)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग का विवरण	लघु-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष में से पुनर्विनियोग की राशि	शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम अधिशेष व्यय
सिविल						
1.	15-दूरसंचार विभाग	2071.01.101.01-साधारण पेंशन	मू. अ.	3920.00 749.20	192.34	268.93
2.	39-विनियोग-कर्ज का पुर्नभुगतान	6001.00.115-14 दैनिक ट्रेजरी बिल	मू.	2378006.28	8006.28	44470.11
रक्षा सेवाएँ						
3.	23-रक्षा सेवाएँ- थल सेना	2076.00.110-भंडार गृह	मू.	16695.83	975.91	1446.39
4.	24-रक्षा सेवाएँ- नौ सेना	2077.00.105-परिवहन	मू.	410.00	15.01	17.14
5.	28-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	4076.02.103-अन्य उपकरण	मू.	2558.64	8.64	105.39
कुल					9198.18	

मू.- मूल; अ.- अनुपूरक

अनुबन्ध 3.11

(पैराग्राफ 3.14 के संदर्भ में)

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
सिविल							
1.	04- परमाणु ऊर्जा	3401.00.004.0 5- टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान	666.00	24.22	618.50	71.72	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर कटौती के कारण
2.		3401.00.004.0 7- टाटा मेमोरियल सेंटर	540.00	31.00	525.00	46.00	
3.	20- संस्कृति मंत्रालय	2205.00.106.1 2- राष्ट्रीय कला संस्कृति विकास योजना	325.00	20.00	306.27	38.73	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में ई-गवर्नेंस के गैर-कार्यान्वयन, संरक्षित स्मारकों/स्थानों में ई-टिकटिंग व्यवस्था, तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधान में कटौती तथा लंबित बिलों की गैर प्राप्ति, किए गए दरों की कम संख्या, वैज्ञानिक उपकरणों की गैर-खरीद तथा संरक्षित स्मारकों/स्थानों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को लगाने के लिए प्रस्तावों की गैर-भौतिकीकरण के कारण

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
4.	43- राजस्व विभाग	3601.01.110.0 7- सीएसटी(केंद्रीय राज्य कर) के चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के कारण राजस्व हानि हेतु राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति	14929.0 0	990.55	14370.60	1548.95	राज्य सरकारों को सी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण
5.	51- भारी उद्योग विभाग	2852.80.003.1 2- राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा आर एण्ड डी आधारभूत परियोजना	75.00	144.54	74.99	144.55	हाईब्रिड वाहनों के निर्माण कर्ताओं से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
6.	55-पुलिस	2055.00.003.1- राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	136.58	5.00	110.24	31.34	पर्यटन, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा परामर्शदाताओं को लगाने के लिए कम निधि की आवश्यकता तथा खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण
7.		2055.00.106.0 1-स्थापना	598.71	10.00	545.33	63.38	रिक्त पदों को न भरने तथा पेट्रोल, तेल तथा स्नेहकों तथा लघु कार्यों के लिए कम निधि की आवश्यकता के कारण
8.		4055.00.202.0 4- सामान्य	100.00	5.00	94.13	10.87	वाहनों के वितरण की पुनः अनुसूचित करने के कारण

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
9.	62- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	4250.00.201.1 1- काम की परिस्थितियाँ और सुरक्षा	4.31	6.00	2.61	7.70	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा चल रहे जारी निर्माण कार्यों के लिए निधियों के गैर उपयोग के कारण
10.		3055.00.004.2 5-सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रणाली की सुदृढ़ता एवं सुधार	20.00	70.00	12.00	78.00	राज्य कोषागार इकाई से उपयोगिता प्रमाणपत्रों के गैर प्राप्ति के कारण बचत
11.	83- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	5054.01.796.0 1-नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संयोजकता (एन एच व राज्य सड़क) के विकास के लिए सामाजिक कार्यक्रम	400.00	520.00	--	920.00	चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति तथा ठेकेदारों से बिलों की प्राप्ति में देरी के कारण
12.	84- ग्रामीण विकास विभाग	3054.80.797.0 3-केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	3030.03	1104.22	3030.03	1104.22	निधियों के कम अंतरण के कारण कार्यदायी संस्थाओं को कम निधियां जारी करने के कारण
13.		3601.02.797.0 2- केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	4623.47	7864.19	4623.47	7864.19	
14.	97-पर्यटन मंत्रालय	3452.01.101.1 1- पर्यटन आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए केंद्रीय एजेंन्सी को सहायता	14.25	10.00	11.00	13.25	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कटौती तथा उपयोगिता/पूर्णता प्रमाणपत्रों की गैर प्राप्ति के कारण बचत

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
15.		3452.01.101.1 3- तीर्थयात्री केन्द्रों के सौंदर्यीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन	50.00	10.00	8.09	51.91	राज्य संस्थाओं से पर्याप्त प्रस्तावों की गैर प्राप्ति के कारण बचत तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण
16.	105- लोक निर्माण कार्य	2059.80.001.1 3-कम्प्यूटरीकरण की योजना	2.84	8.23	2.12	8.95	योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण
रक्षा सेवा							
राजस्व (दत्तमत)							
17.	26- रक्षा आयुध कारखानें	2079.00.110- भंडार	6565.1 2	660.95	6522.42	703.65	विदेशी विक्रेताओं द्वारा 125 मिमी फिन स्टेब्लाइज्ड आर्मर पिअर सिंग डिस्चार्जिंग सबोट (एफएसएपीडीईएस) जैसी मर्दों की आपूर्ति न होने तथा विदेशी क्रेताओं द्वारा वस्तु की आपूर्ति में विलंब होने के कारण
डाक सेवाएं							
राजस्व (दत्तमत)							
18.		3201.02.101.0 1-मौजूदा डाक कार्यालय	6766.0 9	137.42	6680.90	222.61	अधिक सेवानिवृत्त मामलों के कारण वेतन के तहत कम व्यय।
19.	14- डाक विभाग	3201.02.102.0 1- डाक छंटाई	1169.9 1	25.30	1162.29	32.92	खण्ड अवधि 2014-17 के प्रथम दो वर्ष के कारण कम एलटीसी (अवकाश यात्रा रियायत), कम ट्यूशन फीस मामलों के कारण।

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
20.		3201.03.101.1 2- भारतीय डाक बैंक की स्थापना	--	7.25	--	7.25	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व पीबीआई (भारतीय डाक बैंक) की स्थापना के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया था।
21.		3201.07.104.0 1- उपदान	698.15	24.96	653.23	69.88	परिमण्डलों द्वारा पूर्वानुमान का निर्धारण नहीं किया जा सका, अतः शीर्ष के तहत बचत

अनुबन्ध 3.12

(पैराग्राफ 3.15 के संदर्भ में)

बचे हुए अव्यतीत कुल प्रावधान (₹ 50 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण एवं उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	बचतें
सिविल			
अनुदान सं. 5- नाभिकीय उर्जा योजना			
1.	2801.03.101.09-के के एन पी ईंधन	89.00	89.00
अनुदान सं. 10- नागरिक उड्डयन मंत्रालय			
2.	3053.80.800.06-हज चार्टर के संचालन के लिए अनुदान	527.66	527.66
अनुदान सं. 13- औद्योगिक नीति एवं प्रचार विभाग			
3.	2885.02.101.14-आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में औद्योगिक ईकाईयों को आर्थिक ब्याज सहायता	100.00	100.00
अनुदान सं. 15- दूरसंचार विभाग			
4.	4859.01.190.13-आई टी आई पुनरुद्धार (इक्विटी निवेश)	50.00	50.00
अनुदान सं. 29- उत्तर पूर्व(उ.पू) क्षेत्र विकास मंत्रालय			
5.	3601.05.101.07- उत्तर पूर्व सड़क निगम	225.00	225.00
6.	3601.05.101.08-उत्तर पूर्व राज्यों के लिए जैविक कृषि	125.00	125.00
7.	4552.00.215.02-उत्तर पूर्व क्षेत्र में लघु एवं मध्यम शहरो का समेकित विकास	70.00	70.00
अनुदान सं. 33- विदेश मंत्रालय			
8.	7605.00.055.01-नया क्रेडिट	158.00	158.00
अनुदान सं. 34- आर्थिक मामले विभाग			
9.	2235.02.200.28-सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क	1000.00	1000.00
10.	2235.02.797.01- निर्भया निधि को अन्तरण	1000.00	1000.00
11.	2235.60.797.02-असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	607.00	607.00
12.	5475.00.800.21-पी पी पी कार्यान्वयन (3 पी इंडिया)	80.00	80.00
अनुदान सं. 35- वित्तीय सवा का विभाग			
13.	5465.01.797.01-राष्ट्रीय निवेश निधि	7940.00	7940.00
अनुदान सं. 36 - विनियोग-ब्याज भुगतान			
14.	2049.01.126- बैंक में बाजार स्थिरीकरण योजना जमाधन पर देय ब्याज/छूट	686.60	686.60

बचे हुए अव्ययित कुल प्रावधान (₹ 50 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण एवं उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	बचते
15.	2049.01.128-नकद प्रबंधन बिल	1000.00	1000.00
अनुदान सं. 37-राज्य एवं संघ शासित सरकारों को अन्तरण			
16.	7601.06.200- अन्य अर्थोपाय अग्रिम (प्रभारित)	100.00	100.00
अनुदान सं. 39 - विनियोग कर्जे का भुगतान			
17.	6001.00.127-नकद प्रबंधन बिल	100000.0 0	100000.00
अनुदान सं. 43-राजस्व विभाग			
18.	4059.60.051.26-राजस्व भवन का निर्माण	100.00	100.00
अनुदान सं. 48- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
19.	2210.06.800.39-स्वास्थ्य बीमा (सीजीईआईपीएस)	50.00	50.00
अनुदान सं. 50- एड्स नियंत्रण विभाग			
20.	4210.04.200.11-राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	50.00	50.00
अनुदान सं. 51 - भारी उद्योग विभाग			
21.	2852.80.003.15- आर एवं डी परियोजना - ताप विद्युत संयंत्र के विकास के लिए अत्यधिक उन्नत विशेष (उन्नत-यूएससी) तकनीक	50.00	50.00
22.	6854.60.800.01-लोक उपक्रमों के लिए पुनः प्रवर्तन योजना के लिए कार्यान्वयन	150.00	150.00
23.	6858.60.800.01-राष्ट्रीय स्वचलित परीक्षण को ऋण एवं आर एण्ड डी संरचना परियोजना	300.00	300.00
अनुदान सं. 55-पुलिस			
24.	4055.00.214.06-ईण्डो-भूटान सीमा कार्य	50.00	50.00
25.	4055.00.800.23-निर्भया निधि परियोजना	79.60	79.60
अनुदान सं. 58-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
26.	3602.04.169.01-जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	453.80	453.80
अनुदान सं. 60-उच्चतर शिक्षा विभाग			
27.	2202.03.102.22-बहु विषयक अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना, हिमालयन अध्ययन केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सहित (सीयूएचएस), उत्कृष्टता केन्द्र एवं मानविकी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र का निर्माण	81.38	81.38

बचे हुए अव्ययित कुल प्रावधान (₹ 50 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण एवं उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	बचतें
अनुदान सं. 62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय			
28.	3601.04.326.04-असंगठित श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा कार्ड	65.60	65.60
अनुदान सं. 77-विद्युत मंत्रालय			
29.	2801.80.800.33-डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) के ऋण पुर्नसंरचना के लिए वित्तीय सहायता	74.20	74.20
अनुदान सं. 83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय			
30.	3055.00.004.27-सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना	653.00	653.00
31.	3601.02.105.02- अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़के	293.00	293.00
32.	5054.01.796.01-नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क सम्पर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (राजमार्ग एवं राज्यपथ)	920.00	920.00
अनुदान सं. 87- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग			
33.	3425.60.151.11-ट्रांसलेशनल रिसर्च संस्थान (नवोन्मेष परिसर)	63.00	63.00
अनुदान सं. 89-पोत परिवहन मंत्रालय			
34.	3052.02.103.07-तटीय पोत परिवहन को मॉडल शिफ्ट	64.61	64.61
अनुदान सं. 91- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग			
35.	2225.01.789.10-मैला ढोने वालों के पुर्नवास के लिए रोजगार योजना	460.99	460.99
अनुदान सं. 96-कपड़ा मंत्रालय			
36.	2852.08.789.14-पावरलूम प्रचार योजना	51.02	51.02
अनुदान सं. 107 - जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय			
37.	2701.80.800.22- नदियों को आपस में जोड़ने के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट)	100.00	100.00
अनुदान सं. 28 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
38.	4076.08.209- प्रक्रिया निर्माण के तहत आदर्श विकास के लिए सहायता	144.21	144.21
कुल			118012.67

अनुबन्ध 3.13

(पैराग्राफ 3.16 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मंत्रालय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 1 कृषि एवं सहकारी विभाग					
1.	2401.00.800.45-कृषोन्नति योजना राज्य योजना	460.00	36.56	423.44	राज्य सरकारों के लघु संदेश सेवा नीति के प्रति कम निधियों की आवश्यकता व कम प्रस्तावों की प्राप्ति व अपर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
2.	2435.01.789.04- कृषोन्नति योजना केन्द्रीय क्षेत्र	124.63	0.61	124.02	कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
अनुदान सं. 2 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग					
3.	2415.01.150.03- कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड एवं कृषि सूचना एवं प्रशासन निदेशालय बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय।	452.27	285.65	166.62	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों में कटौती व रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण
4.	2415.01.150.07- कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान व शिक्षा योजनाएँ	576.81	439.72	137.09	
अनुदान सं. 3 पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग					
5.	2404.00.102.20-डेयरी विकास अभियान	948.75	781.28	167.47	राजस्व प्राप्तियों को सुमेलित करने के लिये व्यय को रोकने के कारण
अनुदान सं. 4 -परमाणु उर्जा					
6.	4861.60.190.02-भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड	200.00	32.00	168.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर कमी के कारण
अनुदान सं. 12 वाणिज्य विभाग					
7.	3453.00.107.04-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको को आर्थिक सहायता	1625.00	1100.00	525.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर योजना की अधिसूचना में देरी व कटौती के कारण
अनुदान सं. 15 दूरसंचार विभाग					
8.	2071.01.102.01-साधारण पेंशन	911.32	781.40	129.92	बीएसएनएल सेवानिवृत्तियों के सम्बन्ध में डी.ए विलय के गैर कार्यान्वयन और कम दावों की प्राप्ति के कारण

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मंत्रालय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 18 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग					
9.	6860.04.190.06-खोई आधारित सह उत्पादन शक्ति परियोजना के लिए चीनी मिलें	200.00	95.79	104.21	पांच चीनी मिलों के प्रदूषण नियंत्रक मंडल/पर्यावरण प्रभाव निर्धारण की संस्वीकृति मंजूरी की गैर प्राप्ति व सक्षम दावों की गैर प्राप्ति के कारण
अनुदान सं. 29 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय					
10.	3601.02.101.14-उत्तर पूर्व व सिक्किम के लिए संसाधनों के गैर समाप्ति योग्य पूल से केन्द्रीय सहायता	970.00	605.10	364.90	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों, उपयोगिता प्रमाण पत्र त्रैमासिक प्राप्ति समीक्षा व निरीक्षण प्रतिवेदन की गैर प्राप्ति के कारण
अनुदान सं. 30 - स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय					
11.	3601.02.269.02-स्वच्छ भारत अभियान	6011.40	4391.81	1619.59	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की गैर प्राप्ति शहरी विकास मंत्रालय को तकनीकी पूरक के माध्यम से निधियों के अंतरण के कारण
12.	3601.02.789.19-मल प्रवाह पद्धति एवं स्वच्छता-स्वच्छता सेवाएं	2184.00	1469.51	714.49	शहरी विकास मंत्रालय को तकनीकी पूरक के माध्यम से निधियों के अन्तरण व मुख्य शीर्ष "2215" के स्थान पर इस शीर्ष से पूरक प्राप्त करने के कारण
13.	3601.02.796.19- मल प्रवाह पद्धति एवं स्वच्छता-स्वच्छता सेवाएं	993.00	673.08	319.92	शहरी विकास मंत्रालय को तकनीकी पूरक के माध्यम से निधियों के अन्तरण व मुख्य शीर्ष "2215" के स्थान पर इस शीर्ष से पूरक प्राप्त करने के कारण
अनुदान सं. 31-भू विज्ञान मंत्रालय					
14.	3403.00.102.06-धुवीय विज्ञान व कियोस्फर	294.00	118.66	175.34	गत वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता व धुवीय अनुसंधान प्राप्त की पुनः निविदा के कारण
अनुदान सं. 33-विदेश मंत्रालय					
15.	3605.00.101.10-भूटान को सहायता	2919.40	2127.66	791.74	भूटान में जलविद्युत परियोजना के प्रारम्भ न होने के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मंत्रालय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
16.	3605.00.101.14-म्यामांर को सहायता	270.00	117.07	152.93	कालाइन बहु आदर्श परिवहन योजना, रिटिडिम सड़क हेतु बीजक गैर प्राप्ति व त्रिपक्षीय हाइवे परियोजना के अनुमोदन में देरी के कारण
17.	4059.60.051.17-विदेश मामले	220.00	89.85	130.15	काबुल, सियाल व वैनकूवर में सम्पत्तियों के क्रय के गैर-अंतिमीकरण व गैर योजना व्यय पर समिति द्वारा योजना के गैर अनुमोदन के कारण
अनुदान सं. 34-अर्थिक कार्य विभाग					
18.	2810.00.797.01-राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में अंतरण	4700.00	100.00	4600.00	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में कम निधियों अन्तरण की आवश्यकता के कारण
19.	3075.60.101.01-रेलवे को भुगतान	4728.71	3722.68	1006.03	लाभांश की दर में 5% से 4% तक की कटौती के कारण कम निधियों की आवश्यकता
20.	5475.00.800.12-आधारभूत संरचना के विकास के लिए सहायता लाभप्रदाता पूरक वित्त/निधि	1028.50	623.50	405.00	अनुदान के पूंजी अनुभाग से राजस्व अनुभाग में अंश स्थानांतरण के प्रावधान के कारण
21.	7475.00.800.10-नई व्यवस्था के तहत उधार हेतु आई एम एफ से ऋण (एन ए बी)	1486.04	692.60	793.44	आई एम एफ को नवीन ऋण व्यवस्था के तहत ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण
अनुदान सं.35-वित्त सेवाएँ का विभाग					
22.	2235.60.102.03-राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी एस) से जुड़ने के लिए असंगठित क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वावलम्बन योजना	581.90	250.64	331.26	योजना के तहत मंद नामांकन के कारण कम निधियों की आवश्यकता
23.	3465.01.190.06-भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को आर्थिक मदद	250.00	40.00	210.00	गत वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण
अनुदान सं. 36- विनियोग- ब्याज भुगतान					
24.	2048.00.200.13-सरकारी प्रतिभूतियों के वापसी पर बीमा शुल्क भुगतान	1000.00	38.22	961.78	वापसी खरीद व बदलाव के संचालन पर बीमा शुल्क के कारण
25.	2049.01.103.01-राजकोषीय बिलों पर छुट-91 दिनों का राजकोषीय बिल	15131.74	12476.64	2655.10	कम राजकोषीय बिलों के जारी करने के कारण

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मंत्रालय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
26.	2049.01.108- 182 दिनों के राजकोषीय बिल पर ब्याज	6643.62	5800.91	842.71	राजकोषीय बिलों के निम्न निर्गमन के कारण
27.	2049.01.110- 364 दिनों के राजकोषीय बिल पर ब्याज	14453.33	10617.05	3836.28	पैदावार की कमी के कारण
28.	2049.01.115- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	500.00	74.28	425.72	सरकारी खाते में नकदी अधिशेष की उपलब्धता के कारण अर्थोपाय ऋण व अधिविकर्ष की कम उपयोगिता के कारण
29.	2049.01.116- 14 दिनों के राजकोषीय बिल पर ब्याज	5000.00	3823.49	1176.51	राज्य सरकारों द्वारा पुनर्भाजन की उच्च परिमाण के कारण
30.	2049.03.109.09- ईएसआईसी(कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के विशेष जमा	1002.91	746.90	256.01	गत वर्ष में एसडीए(बिसेष जमा और लेखे) के तहत जारी अधिक ब्याज के भुगतान व ब्याज दरों में कटौती के कारण
31.	2049.05.103-रेलवे विकास निधि पर ब्याज	201.03	93.90	107.13	निधियां की कम अभिवृद्धि के कारण
अनुदान सं. 37-राज्य एवं केन्द्र शासित सरकारों को अन्तरण					
32.	3601.01.104.21- राज्य आपदा सहायता निधि को सहायता अनुदान	9971.00	8756.01	1214.99	कुछ राज्य सरकारों के द्वारा प्रस्तावित नियमों व शर्तों की गैर- पूर्ति के कारण
33.	3601.01.104.22- स्थानीय निकायों को अनुदान	29987.52	26917.78	3069.74	
34.	3601.02.101.06-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3500.00	2771.82	728.18	सहायता लेखा नियंत्रक एवं लेखापरीक्षा के कार्यालय से बाहरी सहायता के प्रवाह के कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
35.	3601.03.560.01-विशिष्ट सहायता (राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश सरकार)	20000.00	10890.00	9110.00	वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार नीति आयोग के माध्यम से विशिष्ट हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए संसाधन, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को निधियों के हस्तांतरण के कारण
अनुदान सं. 39- विनियोग ऋणों का पुन भुगतान					
36.	6001.00.114-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	500000.00	83843.00	416157.00	अर्थोपाय की कम उपयोगिता के कारण ऋण एवं अधिविकर्ष

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मंत्रालय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 41- पेंशन					
37.	2071.01.102.01- साधारण पेंशन	1681.80	1443.46	238.34	कम दावों/सूचीपत्रों की प्राप्ति के कारण
अनुदान सं. 43-राजस्व विभाग					
38.	2047.00.110.01- जीएसटीएन- एसपीवी (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क: विशेष प्रयोजन वाहन) को अनुदान	292.00	120.93	171.07	वस्तु एवं सेवा कर संजाल (विशेष उद्देश्य वाहन) के लिए कम निधि की आवश्यकता के कारण
अनुदान सं. 44-प्रत्यक्ष कर					
39.	4059.01.202- तैयार निर्मित आवासों का अधिग्रहण	323.72	52.32	271.40	सम्पत्तियों के निर्माण/क्रय के लिए कुछ प्रस्तावों के गैर- अन्तिमीकरण के कारण
40.	4216.01.111.01- तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण	250.48	43.65	206.83	
अनुदान सं. 45- अप्रत्यक्ष कर					
41.	2037.00.102.01-समुद्र सीमा शुल्क-मुख्य पोर्ट (बंदरगाह)	812.98	680.74	132.24	रिक्त पदों के न भरने, मितव्ययिता के उपाय व किराए के पुनरीक्षण के गैर अन्तिमीकरण के कारण
42.	4047.00.037.03-निवारक व अन्य कार्य	263.61	41.92	221.69	श्रेणी-1 व॥ जहाजों के अतिरिक्त पुर्जों की खरीद प्रक्रिया के गैर-अन्तिमीकरण व पीआरडी (व्यक्तिगत विक्रियण डिटेक्टर), एक्स-रे सामान निरीक्षण प्रणाली, एम्स बी आई एस, की खरीद व ड्राइव थू स्कैनर (रोड) के संस्थापन के लिए खरीद प्रक्रिया में देरी के कारण
43.	4059.01.800.01-तैयार बने परिसरों का अधिग्रहण	331.00	25.06	305.94	भूमि के अधिग्रहण/कार्यालय की इमारतों के निर्माण के विभिन्न प्रस्तावों के गैर अन्तिमीकरण व तैयार बने कार्यालय परिसर की खरीद के कारण
अनुदान सं. 48-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
44.	2210.05.105.41-एम्स (अ.भा.आ.सं.) जैसे विशिष्ट अस्पतालो सह शिक्षण संस्थानों की स्थापना व राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन	1756.00	1208.72	547.28	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए कम निधियों की आवश्यकता, आउटसोर्सिंग सेवा/श्रमशक्ति, नए 6 एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) के आकस्मिक व्ययों तथा अनुदानित निकायों के साथ अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मंत्रालय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
45.	2210.06.001.09-संक्रामक रोगों के लिए फ्लैक्सिबल पूल	1167.51	972.65	194.86	रिक्त पदों के न भरने, कम प्रस्तावों की प्राप्ति, मीडिया अभियानों के गैर-अनुमोदन, कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सम्मेलनों का आयोजन व मलेरिया रोधी, कालाजार और यक्ष्मा रोधी दवाओं की गैर खरीद के कारण
46.	3601.02.246.02-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - फ्लैक्सिबल पूल	785.45	484.84	300.61	राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में दिनों की कम संख्या की घोषणा के कारण कम प्रस्तावों की प्राप्ति व वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण
47.	3606.00.237.05-राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन को सुदृढ़ बनाने के लिए सामग्री सहायता	718.10	7.00	711.10	आपूर्ति व सामग्री की गैर-खरीद के कारण योजना के अनुमोदन में देरी
अनुदान सं. 51- भारी उद्योग विभाग					
48.	6858.60.190.07-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कार्यान्वयन और पृथक्करण योजना(वी आरएस/वी एसएस और सांविधिक बकाया राशि का भुगतान	734.00	185.83	548.17	विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों के पुनर्विनियोग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना व वैधानिक बकाया राशियों के भुगतान के कारण
अनुदान सं. 53- गृह मंत्रालय					
49.	2245.80.102.18-विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना	416.00	159.01	256.99	रिक्त पदों के न भरने, विदेशी पर्यटन के कम संख्या व सलाहकारों की गैर-संविदा के कारण
अनुदान सं. 55- पुलिस					
50.	4055.00.214.05- इन्डो-नेपाल सीमा निर्माण कार्य	300.00	161.99	138.01	भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों के गैर अंतिमीकरण के कारण
51.	4055.00.215.03- राज्य/यूटी की तटीय सुरक्षा के लिए सहायता	710.00	48.89	661.11	तटीय सुरक्षा के लिए नावों की खरीद प्रस्तावों के गैर-अंतिमीकरण के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मंत्रालय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 56- गृह मंत्रालय का अन्य व्यय					
52.	3601.01.343.06- जम्मू कश्मीर राहत एवं पुनर्वास	580.00	260.00	320.00	कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास के लिए योजनाओं के गैर-अंतिमीकरण के कारण
53.	4250.00.101.08- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल	323.03	55.81	267.22	विचाराधीन प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्तावों के गैर अंतिमीकरण व अर्द्ध-स्थायी ढांचों के गैर-निर्माण के कारण
अनुदान सं. 58- आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय					
54.	2216.02.190.15- राजीव ऋण योजना (आरआरवाई)	394.20	0.12	394.08	योजना के विच्छेदन के कारण
55.	3601.04.170.02- सबके लिए आवास - सरदार पटेल शहरी आवास योजना	3504.01	1197.74	2306.27	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कमी व कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा राज्यों द्वारा जमा किए गए परियोजनाओं के दावों का गैर निराकरण
56.	3601.04.435.05- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)	420.00	259.35	160.65	उपयोगिता प्रमाण पत्र की गैर प्राप्ति के कारण
अनुदान सं. 59- विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग					
57.	3601.02.797.03- प्रारंभिक शिक्षा कोष में निधियों का अंतरण	27575.00	19298.16	8276.84	शिक्षा-उपकर के कम संग्रह के कारण
अनुदान सं. 60-उच्च शिक्षा विभाग					
58.	2202.03.102.14- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (आरयूएसए)	140.74	5.52	135.22	व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण
59.	2202.03.102.21-सामुदायिक महाविद्यालयों सहित दक्षता आधारित उच्च शिक्षा हेतु समर्थन	151.88	0.50	151.38	योजना के गैर अन्तिमीकरण के कारण
60.	2203.00.112.68- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी)/ भारतीय प्रबंधन संस्थानों आई.आई.एम. की स्थापना	775.00	90.31	684.69	व्यवहार्य प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण
61.	2203.00.789.58-- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)/भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) की स्थापना	150.00	7.65	142.35	

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मंत्रालय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 61 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय					
62.	2251.00.800.11- राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन	137.00	3.76	133.24	परियोजना का कार्यान्वयन के प्राथमिक स्तर पर होने तथा विभाग द्वारा निश्चित गतिविधियों का पुनः प्राथमिकता निर्धारण के कारण
अनुदान सं. 62- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय					
63.	2230.03.003.07- महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	170.29	63.15	107.14	प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के गैर-उठान के कारण
64.	3601.04.326.02-आरएसबीवाई सहित असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा	780.99	39.16	741.83	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्थानांतरण के कारण
65.	3601.04.789.47- श्रम- असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा	209.06	1.00	208.06	
66.	3601.04.796.36- - श्रम- असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा	105.82	3.76	102.06	
अनुदान नं 64- विधि एवं न्याय					
67.	2015.00.104.01- राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों को प्रतिपूर्ति	1555.40	1314.96	240.44	राज्य सरकारों से लेखापरीक्षा प्रमाण पत्रों की गैर-प्राप्ति और लेखापरीक्षा प्रमाण पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण राज्य सरकारों को कम निस्तारण
अनुदान सं. 76- योजना मंत्रालय					
68.	3454.02.206.01- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	1638.22	1285.43	352.79	रिक्त पदों के न भरने, नामांकन प्रमाण की निम्न मात्रा, आधार का अद्यतनीकरण सम्पर्क केन्द्र संचालनों का कम उत्प्रवाह, सूचना संचार एवं तकनीकी सहायता पर उच्चतम न्यायालय द्वारा आधार लाभ को सीमित करने के कारण तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों की गैर तैनाती की वजह से
अनुदान सं. 77 -विद्युत मंत्रालय					
69.	2801.05.797.01- पावर सिस्टम विकास निधि(पीएसडीएफ)में हस्तांतरण	1500.00	1150.74	349.26	डिस्कॉमस द्वारा गैस आधारित विद्युत खरीदने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मंत्रालय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
70.	2801.05.800.04- पीएसडीएफ में से पावर सिस्टम विकास के लिए योजना	300.00	175.00	125.00	मन्द कार्यान्वयन के कारण योजना के तहत परियोजनाओं के लिए कम निधि की आवश्यकता
71.	2801.05.800.07- पीएसडीएफ से गैस आधारित उत्पादन क्षमता के उपयोग हेतु योजना	1200.00	975.74	224.26	डिस्कामस द्वारा गैस आधारित विद्युत खरीदने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण
72.	4801.02.190.02- भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	993.00	76.83	916.17	निम्न लक्ष्य वाले कोयला बहुल क्षेत्रों के कम आधिग्रहण के कारण
अनुदान सं. 83 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय					
73.	3601.02.105.01- राज्य सड़क के लिए अनुदान	2868.00	2363.87	504.13	केन्द्रीय सड़क निधि नियम के अनुसार गुणवत्ता, आश्वासन, व प्रशिक्षण के लिए कुल प्रावधानों का हस्तान्तरण, राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्तावों की गैर प्राप्ति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण
74.	5054.01.190.01- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	29420.09	23017.68	6402.41	एन.एच.डी.पी.-IV(राष्ट्रीय राजमार्ग विकाश परियोजना) परियोजना का राज्य लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा ठेकेदारों द्वारा बिलों के जमा करने में देरी के कारण
75.	5054.01.337.01- सड़क विंग के अंतर्गत कार्य	5718.06	600.00	5118.06	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क-संयोजकता के विकास में चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति
76.	5054.01.337.04-केन्द्रीय सड़क निधि से अन्य राजमार्ग संबंधी योजनाएं।	790.50	653.77	136.73	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संयोजकता के विकास में चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति एवं ठेकेदारों द्वारा बिलों के जमा करने में देरी के कारण
अनुदान सं. 84- ग्रामीण विकास विभाग					
77.	2505.02.101.09- क्षमता निर्माण व तकनीकी सहायता	374.79	181.82	192.97	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
78.	2515.00.800.28- अर्बन मिशन	270.00	32.05	237.95	
79.	2515.00.800.29- ग्रामीण उद्यमिता 'स्टार्ट अप' कार्यक्रम	180.00	13.60	166.40	कार्यदायी संस्थाओं से व्यवहार्य प्रस्तावों का कम संख्या में प्राप्ति व राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मंत्रालय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
80.	3054.04.338.08- एन आर आर डी ए (कृषि एवं ग्रामीण विकास) द्वारा नाबार्ड (राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास संस्था) को ऋण के पुनर्भुगतान को सहायता के लिए	3875.71	2800.00	1075.71	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
81.	3601.02.418.01- आजीविका -राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	230.80	110.67	120.13	
अनुदान सं. 89- पोत परिवहन मंत्रालय					
82.	5051.01.001.01- सागरमाला	200.00	96.51	103.49	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कमी तथा परियोजना के विलम्ब से अनुमोदन के कारण
अनुदान नं 91- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
83.	2225.01.789.22- पूर्व-दशम छात्रवृत्ति- अनुसूचित जाति के लिए	179.55	71.31	108.24	केन्द्रशासित प्रदेशों से छात्रवृत्ति के लिए पर्याप्त प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति तथा प्रशासनिक व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण
84.	3601.03.789.08- अनुसूचित जाति का कल्याण-आर्थिक विभाग	1086.74	799.56	287.18	कुछ राज्य सरकारों के अव्ययित शेष की उपलब्धता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण
अनुदान सं. 94- आर्थिक एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय					
85.	2553.00.101.01-अनुदान सहायता	3950.00	3502.00	448.00	कर्नाटक में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के लागू होने तथा जिला प्राधिकरण द्वारा लेखापरीक्षा/उपयोगिता प्रमाणपत्र के देरी से जमा करने के कारण
अनुदान सं. 96- वस्त्र मंत्रालय					
86.	2851.00.108.18-वस्त्र आधारभूत संरचना तथा मेगा समूह	236.52	118.26	118.26	पर्याप्त तथा व्यवहार्य प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति के कारण
87.	2852.08.202.62- वस्त्र आधारभूत संरचना तथा वृहत समूह	282.92	61.36	221.56	
अनुदान सं. 97-पर्यटन मंत्रालय					

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मंत्रालय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
88.	3452.01.101.12-पर्यटन क्षेत्र	280.00	154.52	125.48	कार्यान्वयन संस्था द्वारा उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र, पर्याप्त प्रस्तावों की गैर प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण
89.	3452.80.104.01-प्रत्यक्ष व्यय	457.20	296.68	160.52	अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार अभियान बिलों की प्राप्ति में देरी, कुछ चैनलों में इन प्रचार अभियान को लागू करने की अक्षमता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण
अनुदान सं. 98-जनजातीय मामले मंत्रालय					
90.	3601.03.796.08-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-शिक्षा (प्रभारित)	689.95	519.56	170.39	कुछ राज्य सरकारों से पूर्ण/पर्याप्त प्रस्तावों/उपयोगिता प्रमाण पत्रों की गैर प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण
अनुदान सं. 102-दमन व दीव					
91.	2801.05.103.01-संचालन एवं मरम्मत	907.00	727.11	179.89	प्रमुख उच्च तनाव उपभोक्ताओं का मुक्त उपयोग शक्ति खरीद योजना में स्थानान्तरण तथा थोक बिजली खरीद की लागत
अनुदान सं. 104-शहरी विकास विभाग					
92.	2217.05.191.14- राष्ट्रीय हेरिटेज सिटी कार्यक्रम	200.00	27.22	172.78	योजना के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के कारण
93.	3601.04.314.03-स्वच्छ भारत मिशन	2528.76	797.29	1731.47	योजना के विभिन्न अवयवों के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा कार्यान्वयन संस्थानों से कम मांग की प्राप्ति के कारण
94.	3601.04.315.03-100 स्मार्ट सिटी मिशन	2000.00	1461.20	538.80	कार्यदायी राज्य सरकार से कम निधियों की आवश्यकता तथा परियोजना कार्यक्रम के लिए आवश्यकता के सापेक्ष कम निधियों की उपलब्धता के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मंत्रालय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
95.	3601.04.315.04-शहरी कायाकल्प मिशन - 500 आवास	3898.99	2548.75	1350.24	योजना के देर से शुभारंभ तथा राज्य सरकार से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा कार्य की धीमी गति तथा कार्यदायी संस्थाओं से कम मांग की प्राप्ति के कारण
96.	3602.04.269.01-स्वच्छ भारत मिशन	212.00	97.55	114.45	केन्द्र शासित प्रदेश सरकार से कम मांगों की प्राप्ति तथा योजना के विभिन्न अवयवों के लिए कम निधि की आवश्यकता के कारण
97.	4216.01.106.03-शहरी विकास निर्माण	720.01	534.66	185.35	चल रहे कार्य की धीमी प्रगति तथा मितव्ययी संसाधनों के कारण
98.	4217.60.190.08-अन्य मेट्रो परियोजनाएं	945.67	580.49	365.18	कार्यदायी संस्था से मांगों की गैर प्राप्ति के कारण
अनुदान सं. 105- लोक कार्य					
99.	4059.01.051.01-भवन	291.41	124.77	166.64	निर्माण कार्य के लिए कम निधि की आवश्यकता तथा पक्षकार विभाग से व्यय अनुमोदन की गैर प्राप्ति के कारण
107- जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पूर्णोद्धार मंत्रालय					
100.	3435.04.101.08-राष्ट्रीय गंगा योजना	2100.00	1000.00	1100.00	वित्तीय वर्ष 2015-16 की अन्तिम तिमाही में योजना के आधारभूत परियोजना मॉडल के अनुमोदन के कारण शीर्ष के तहत ₹1100 करोड़ की बचत
अनुदान सं. 108 महिला व बाल विकास मंत्रालय					
101.	2235.02.102.18-समेकित बाल विकास सेवाएं	250.20	30.70	219.50	केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा कम निधि की आवश्यकता तथा योजना की पुनः संरचना तथा गैर अनुमोदन तथा केन्द्र शासित प्रदेश अण्डमान व निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वारा कम निधि की आवश्यकता के कारण एवं आंगनबाड़ी कर्मचारियों के बीमे के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मंत्रालय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलों
		(₹ करोड़ में)			
102.	3601.02.356.09-आई जी एम एस वाई(इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना) सहित महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन	347.01	220.41	126.60	केन्द्र व राज्य के मध्य वित्त पोषण की समीक्षा कुछ राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
रक्षा सेवाएं					
अनुदान सं. 24 - रक्षा सेवा - नौसेना					
103.	2077.00.110 -अंडार गृह (स्टोर्स)	5142.25	4166.03	976.22	पेट्रोल, तेल एवं स्नेहकों की अन्तरराष्ट्रीय बाजार कीमतों में कमी के कारण
अनुदान सं. 25 - रक्षा सेवाएं- वायु सेना					
104.	2078.00.110 -अंडार गृह (स्टोर्स)	9160.24	7108.21	2052.03	अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, मामलों को अंतिम रूप देने में देरी वितरण अवधि में परिवर्तन/ देरी, समर्थन अनुबंध को पांच वर्ष के लिए कार्यान्वयन के कारण मामलों का शीघ्र समापन, यू एस सरकार के साथ भुगतान नीति में परिवर्तन के कारण
105.	2078.00.800-अन्य व्यय	596.37	490.32	106.05	मितव्ययता संसाधनों का प्रवर्तन, कुछ खरीदों का गैर-भौतिकीकरण, कुछ परियोजनाओं की गैर-पूर्णता तथा निश्चित अनुकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण।
अनुदान सं. 27 - रक्षा सेवाएं अनुसंधान व विकास					
106.	2080.00.004- अनुसंधान/अनुसंधान विकास	869.75	604.58	265.17	महानिदेशक वैमानिक विकास अभिकरण तथा अन्य अनुसंधान एवं विकास बोर्ड द्वारा व्यय में कटौती के कारण
अनुदान सं. 28 -रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 01-थल सेना					
107.	4076.01.050 -भूमि	367.00	68.30	298.70	भूमि अधिग्रहण के प्रत्याशित मामलों के गैर-फलन के कारण
108.	4076.01.101-एयरक्राफ्ट और एरो इंजन	2365.35	1383.43	981.92	यूएवी (मानवरहित वायुयान) हीरोन सविदा में फिसलन के कारण कम खर्च
109.	4076.01.102 -भारी और मध्यम वाहन	1783.83	1446.85	336.98	प्रत्याशित की अपेक्षा कम अनुमोदन होने के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मंत्रालय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
110.	4076.01.103 - अन्य उपकरण	17335.22	11333.05	6002.17	प्रतिबद्ध देयताओं के मामले में फिसलन के कारण कम खर्च के कारण तथा प्रत्याशित की अपेक्षा अनुमोदन का जारी न होना
111.	4076.01.106-रोलिंग स्टॉक	364.02	233.40	130.62	प्रतिबद्ध देयताओं के मामले में फिसलन के कारण कम खर्च के कारण तथा प्रत्याशित की अपेक्षा अनुमोदन का जारी न होना
02- नौसेना					
112.	4076.02.104-संयुक्त स्टाफ	920.84	720.46	200.38	सामरिक बल नियंत्रण की सामरिक परियोजना की धीमी प्रगति के कारण कम व्यय के कारण तथा अतिरिक्त महानिदेशक सिग्नल इंटेलीजेंस के संबंध में सिग्नल इंटेलीजेंस परियोजना के कारण
113.	4076.02.204-नौसेना बेड़ा	16049.87	10764.84	5285.03	प्रमुख जहाज निर्माण संविदा के अनुबंध मील के पत्थर तथा वितरण अनुसूची में फिसलन के कारण
114.	4076.02.205-नौसेना गोदी वाड़ा	1275.31	774.37	500.94	नौसेना योजना महानिदेशालय के निश्चित सामरिक पनडुब्बी परियोजना को शामिल न करने के कारण
03- वायु सेना					
115.	4076.03.102-भारी और मध्यम वाहन	233.42	101.31	132.11	नवीन संविदा (वाहन) का गैर -फलन के कारण
116.	4076.03.103 - अन्य उपकरण	12382.09	9787.67	2594.42	भुगतान में देरी के कारण निश्चित संविदा में संविदा संशोधन मर्दों के गैर वितरण के कारण फिसलन, माइलस्टोन की गैर उपलब्धि, विनिमय दर विविधता आदि
117.	4076.03.206-विशेष परियोजनाएं	550.00	291.72	258.28	विशेष रूप से जम्मू व कश्मीर में प्रतिकूल मौसम दशाओं के कारण परियोजना में हुए विलम्ब के कारण
04- रक्षा आयुद्ध कारखाना					
118.	4076.04.052-संयंत्र एवं उपकरण	424.68	312.30	112.38	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर कटौती के कारण

अनुबंध 3.14
(पैराग्राफ 3.17 के संदर्भ में)
उप-शीर्षों के अंतर्गत सतत बचत दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट	वास्तविक	बचतें	बजट प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
			प्रावधान	व्यय		
(₹ करोड़ में)						
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग						
1.	2415.01.150.03-कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति बोर्ड सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन एवं कृषि में सूचना और प्रकाशन का निदेशालय, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन	2013-14	516.31	225.02	291.29	56
		2014-15	530.30	284.11	246.19	46
		2015-16	452.27	285.65	166.62	37
दूरसंचार विभाग						
2.	2071.01.102.01-साधारण पेंशन	2013-14	925.00	686.67	238.33	26
		2014-15	989.11	792.45	196.66	20
		2015-16	911.32	781.40	129.92	14
विदेश मंत्रालय						
3.	3605.00.101.14-म्यांमार को सहायता	2013-14	450.00	164.86	285.14	63
		2014-15	330.00	104.34	225.66	68
		2015-16	270.00	117.07	152.93	57
आर्थिक कार्य विभाग						
4.	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि- 2235.60.797.02	2013-14	609.55	200.00	409.55	67
		2014-15	607.00	107.00	500.00	82
		2015-16	607.00	--	607.00	100
5.	5475.00.800.12- अवसंरचना विकास के लिए सहायता- वायबिलिटी गैप फंडिंग	2013-14	678.00	450.00	228.00	34
		2014-15	670.00	365.00	305.00	46
		2015-16	1028.50	623.50	405.00	39
6.	7475.00.800.10-नई व्यवस्था के अंतर्गत उधार लेने के तहत आई एम एफ को ऋण (एन ए बी)	2013-14	1830.02	1486.05	343.97	19
		2014-15	2972.08	2427.59	544.49	18
		2015-16	1486.04	692.60	793.44	53
वित्तीय सेवा विभाग						
7.	5465.01.797.01-राष्ट्रीय निवेश निधि	2013-14	14000.00	--	14000.00	100
		2014-15	11200.00	1253.30	9946.70	89
		2015-16	7940.00	--	7940.00	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

विनियोग - ब्याज भुगतान						
8.	2048.00.200.13-सरकारी प्रतिभूतियों की पुर्नखरीद पर प्रिमियम का भुगतान	2013-14	2000.00	687.48	1312.52	66
		2014-15	1000.00	--	1000.00	100
		2015-16	1000.00	38.22	961.78	96
9.	2049.01.115-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	2013-14	2000.00	251.73	1748.27	87
		2014-15	800.00	433.57	366.43	46
		2015-16	500.00	74.28	425.72	85
10.	2049.01.116-14 दिवसीय ट्रेजरी बिल (प्रभारित)	2013-14	7150.00	3616.53	3533.47	49
		2014-15	7250.00	3671.44	3578.56	49
		2015-16	5000.00	3823.49	1176.51	24
11.	2049.01.126-बैंक में मुद्रा की बाजार स्थिरीकरण निवेश योजना पर देय छूट/ब्याज	2013-14	1630.38	--	1630.38	100
		2014-15	1628.81	--	1628.81	100
		2015-16	686.60	--	686.60	100
राज्य एवं संघ शासित सरकारों को अंतरण						
12.	7601.06.200-अन्य अर्थोपाय अग्रिम	2013-14	1000.00	--	1000.00	100
		2014-15	1000.00	--	1000.00	100
		2015-16	100.00	--	100.00	100
विनियोग - कर्जे का पुर्नभुगतान						
13.	6001.00.106.30-8% बचत बॉन्ड्स, 2003 (आयकर योग्य)	2013-14	1063.60	429.45	634.15	60
		2014-15	1143.69	594.29	549.40	48
		2015-16	5713.47	5477.56	235.91	04
14.	6001.00.114- अर्थोपाय अग्रिम	2013-14	500000.00	242425.00	257575.00	52
		2014-15	500000.00	316116.00	183884.00	37
		2015-16	500000.00	83843.00	416157.00	83
प्रत्यक्ष कर						
15.	4059.01.202-तैयार बना हुआ आवास का अधिग्रहण	2013-14	547.00	430.25	116.75	21
		2014-15	700.01	42.38	657.63	94
		2015-16	323.72	52.32	271.40	84
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग						
16.	2210.06.001.09-संक्रामक रोगों के लिए लचीला पूल	2013-14	920.59	538.49	382.10	42
		2014-15	1661.49	1128.47	533.02	32
		2015-16	1167.51	972.65	194.86	17
17.	3606.00.237.05-राष्ट्रीय प्रतिरोधक क्षमता कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन की मजबूती के लिए भौतिक सहायता	2013-14	332.36	159.43	172.93	52
		2014-15	718.10	153.80	564.30	79
		2015-16	718.10	7.00	711.10	99

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

भारी उद्योग विभाग						
18.	2852.80.003.12-राष्ट्रीय स्वचालित परीक्षण एवं रिसर्च अनुसंधान अवसंरचना परियोजना	2013-14	341.94	--	341.94	100
		2014-15	426.94	241.91	185.03	43
		2015-16	219.54	74.99	144.55	66
उच्चतर शिक्षा विभाग						
19	2202.03.102.14-राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान(आर यू एस ए)	2013-14	300.80	6.51	294.29	98
		2014-15	140.74	6.77	133.97	95
		2015-16	140.74	5.52	135.22	96
योजना मंत्रालय						
20.	3454.02.206.01-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	2013-14	1819.00	1194.68	624.32	34
		2014-15	1437.14	1104.61	332.53	23
		2015-16	1638.22	1285.43	352.79	22
विद्युत मंत्रालय						
21.	4801.02.190.02-राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2013-14	474.00	301.45	172.55	36
		2014-15	915.00	73.74	841.26	92
		2015-16	993.00	76.83	916.17	92
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय						
22.	5054.01.337.01-सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य	2013-14	3704.83	2533.17	1171.66	32
		2014-15	2412.56	1713.31	699.25	29
		2015-16	5718.06	600.00	5118.06	90
अनुदान सं. 91-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय						
23.	3601.03.789.08-अनुसूचित जातियों का आर्थिक विकास	2013-14	1028.00	789.78	238.22	23
		2014-15	1036.80	700.00	336.80	32
		2015-16	1086.74	799.56	287.18	26
अनुदान सं. 97- पर्यटन मंत्रालय						
24.	3452.80.104.01-प्रत्यक्ष व्यय	2013-14	448.20	292.60	155.60	35
		2014-15	446.20	279.79	166.41	37
		2015-16	457.20	296.68	160.52	35
अनुदान सं. 104- शहरी विकास विभाग						
25.	4217.60.190.08-अन्य मैट्रो परियोजनाएं	2013-14	470.98	300.00	170.98	36
		2014-15	1462.27	338.99	1123.28	77
		2015-16	945.67	580.49	365.18	39

अनुबंध 4.1

(पैराग्राफ 4.4.1 एवं 4.5.3 के संदर्भ में)

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 में समाहित विषय शीर्ष तथा उनका विवरण

विषय शीर्ष	विवरण
विषय वर्ग 1 (कार्मिक सेवाएं एवं लाभ)	
01- वेतन	इसमें यात्रा खर्चों (अवकाश यात्रा रियायत के अलावा) के अतिरिक्त मानदेय तथा अवकाश नकदीकरण सहित कार्मिकों के सभी प्रकार के वेतन तथा भत्ते शामिल होंगे। यह विषय शीर्ष वर्गीकरण व्यय भत्तों सहित राज्यों के प्रमुखों और अन्य उच्चाधिकारियों के सरकार (आतिथ्य)भत्तों तथा परिलाभ पर हुए व्यय को दर्ज करने के लिए भी उपयोग किया जाएगा।
02- मजदूरी	इसमें वर्तमान में आकस्मिकता से देय कर्मियों एवं श्रमिकों की मजदूरी शामिल होगी।
03- समयोपरि भत्ता	राशि का भुगतान अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को उनके कार्य दिवस के अतिरिक्त कार्यालयी समय के बाद कार्यालयी कार्य संपन्न करने हेतु किया जाएगा।
04- पेंशन संबंधी प्रभार	इसमें सरकारी कर्मचारियों, संसद सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि के पेंशन के भुगतान एवं सभी प्रकार की ग्रेच्युटी के अलावा सेवा निधि अनुदान एवं अंशदायी भविष्य निधि शामिल होगा। तथापि, इसमें सामाजिक सुरक्षा व्यय जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि शामिल नहीं होगा।
05- पारितोषिक	इसमें केवल सरकारी सेवकों को केवल मंत्रालय/विभाग में परिचालित होनेवाली, योजनानुसार प्रदान की गई राशि शामिल होगी।
06- चिकित्सकीय उपचार	इसमें सरकारी सेवकों/पेंशनरों के चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान की गई राशि शामिल होगी।
विषय वर्ग 2 (प्रशासनिक व्यय)	
11- घरेलू यात्रा व्यय	इसमें भारत में की गई सेवा के लिए सभी प्रकार के यात्रा खर्च, परिवहन एवं निर्धारित यात्रा भत्ता सहित शामिल होगा लेकिन छुट्टी यात्रा रियायत को छोड़कर जो कि वेतन का भाग होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों को भारत में यात्रा के दौरान या.भ./म.भ. भी शामिल होंगे।
12- विदेशी यात्रा व्यय	इसमें वैज्ञानिकों की विदेशी प्रतिनियुक्ति; भारत से बाहर के दौरे, सहित पर किए जाने वाला व्यय शामिल होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों के भारत से बाहर किए जाने दौरे पर या.भ./म.भ. पर व्यय भी शामिल होगा।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

विषय शीर्ष	विवरण
13- कार्यालयी व्यय	इसमें कार्यालय संचालन के लिए किए जाने वाले वाली सभी आकस्मिक खर्च शामिल होंगे जैसे कि फर्नीचर, डाक, कार्यालयी मशीनों एवं उपकरणों का अनुरक्षण एवं खरीद, सर्द और गर्म मौसम प्रभार (आकस्मिक निधि से कर्मचारियों को किए भुगतान को छोड़कर), टेलीफोन, विद्युत और जल प्रभार, लेखन-सामग्री, फार्मों की छपाई, कार्यालयी उद्देश्य के लिए स्टाफ कार एवं अन्य वाहनों जैसे- एम्बुलेंस, वैन इत्यादि की खरीद एवं अनुरक्षण। इसमें कार्यालयी उपयोग के लिए गाड़ियों पर किए जाने वाला पी.ओ.एल. व्यय भी शामिल होगा।
14- किराया, दरें एवं कर	इसमें किराए पर लिए गए भवनों के किराये, निगम दरें एवं करें आदि शामिल होंगे। इसमें भूमि का पट्टा प्रभार भी शामिल होगा।
15- रॉयल्टी	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
16- प्रकाशन	इसमें कार्यालयी कोड, नियमावली एवं अन्य दस्तावेजों के छपाई पर हुए व्यय शामिल होंगे चाहे वे मूल्यांकित हो या अमूल्यांकित लेकिन प्रचार सामग्री की छपाई पर व्यय शामिल नहीं होगा। इसमें प्रकाशन की बिक्री पर अभिकर्ताओं को दिए जाने वाली छूट भी शामिल होंगी।
20- अन्य प्रशासनिक खर्च	इसमें विभागीय कैंटीन, आवभगत/मनोरंजन खर्च, उपहार तथा किए गए दौरों पर व्यय, सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि पर व्यय तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय शामिल होगा।
विषय वर्ग 3 (संविदात्मक सेवाएँ एवं आपूर्तियाँ)	
21- आपूर्तियां तथा सामग्रियां	इसमें सामग्रियों तथा आपूर्तियों, भण्डार तथा उपकरण आदि पर व्यय शामिल होगा।
22- आयुध और गोला बारूद	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक स्थापनाओं को आयुध और गोला बारूद पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
23- राशन की लागत	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक स्थापनाओं के राशन पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
24- पी.ओ.एल.	इसमें पुलिस एवं अन्य अर्द्ध सैनिक वाहनों के पी.ओ.एल. पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा। यह क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए परिवहन वाहनों के पी.ओ.एल. पर किए जाने वाले व्यय को शामिल करेगा, लेकिन उनको छोड़कर जो कार्यालय चलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं।
25- कपड़ा और तंबू	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक के कपड़े और तंबू पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
26- विज्ञापन एवं प्रचार	इसमें प्रचार सामग्री के प्रकाशन एवं बिक्री के लिए अभिकर्ताओं को दिया जाने वाला कमीशन शामिल होगा। इसमें मेलों व प्रदर्शनियों पर व्यय भी शामिल होगा।
27- लघु निर्माण कार्य	इसमें निर्माण कार्यों, मशीनरी तथा उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर किया गया व्यय दर्ज होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
28- व्यवसायिक सेवाएं	इसमें कानूनी सेवाओं के प्रभार, परामर्श शुल्क, स्टाफ कलाकारों को शुल्क, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षकों, निरीक्षकों आदि को पारिश्रमिक, आकाशवाणी, दूरसंचार, दूरदर्शन द्वारा नैमित्तिक कलाकारों को पारिश्रमिक तथा अन्य सभी प्रकार के पारिश्रमिक के प्रभार शामिल होंगे। इसमें दी गई सेवाओं, अन्य विभागों जैसे रेलवे, पुलिस आदि द्वारा की गई आपूर्तियों के भुगतान शामिल होंगे, की गई आपूर्तियों तथा एक कार्यालय को चलाने के लिए की गई सेवाओं को पृथक करते हुए उन मामलों में व्यय खर्च के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
30- अन्य संविदात्मक सेवाएँ	इसमें सेवा या प्रतिबद्धता प्रभारों तथा प्राप्त उपहारों के सैद्धांतिक मूल्य आदि पर व्यय शामिल होगा।
विषय वर्ग 4 (अनुदान, इत्यादि)	
31- सहायता अनुदान-सामान्य	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
32- अंशदान	इसमें अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर व्यय शामिल होगा।
33- आर्थिक सहायता	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
34- छात्रवृत्ति/कृत्रिका	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	इसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
36- सहायता अनुदान- वेतन	इसमें वेतन के भुगतान हेतु सहायता अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
विषय वर्ग 5 (अन्य व्यय)	
41- गुप्त सेवा व्यय	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
42- एकमुश्त प्रावधान	इसमें योजनाओं/उप-योजनाओं/संगठनों जहाँ प्रावधान ₹ 10 लाख से अधिक न हो के संबंध में व्यय शामिल होंगे। अन्य सभी मामलों में, व्यय के अन्य विषयों का अलग-अलग ब्यौरा भी दिया जाएगा।
43- उंचंत	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
44- विनिमय विभिन्नता	विदेशी स्रोतों से ऋण/अग्रिम की प्राप्ति तथा उसके पुनर्भुगतान के समय विनिमय की दर में विभिन्नता को संबंधित सेवा व्यय शीर्ष के अंतर्गत इस विषय शीर्ष के अंतर्गत डेबिट किया जाएगा।
45- ब्याज	इसमें पूंजी पर ब्याज तथा ऋणों पर छूट शामिल होंगी।
46- केन्द्र राज्य संसाधनों का अंतरण	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
50- अन्य प्रभार	इसमें विवेकाधिकार अनुदानों में से भुगतान शामिल होगा। अन्य छूटें, उत्पाद शुल्क, क्षतिपूर्ति, इनाम तथा पुरस्कार आदि तथा अन्य व्यय जो इन विशिष्ट विषय शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किये जा सकते, वे इस शीर्ष में डेबिट किए जाएंगे।

विषय शीर्ष	विवरण
विषय वर्ग 6 (पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण और अन्य पूंजीगत व्यय)	
51- मोटर वाहन	कार्यालय को चलाने के लिए प्रयोग में आने वाले वाहनों से अलग कार्यात्मक गतिविधियों (जैसे-एम्बुलेंस वैन) के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिवहन वाहनों का खरीद एवं अनुरक्षण शामिल।
52- मशीनरी तथा उपकरण	इसमें एक कार्यालय को चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर मशीनरी उपकरण औजार आदि तथा विशिष्ट निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित विशेष औजार तथा संयंत्र शामिल होंगे।
53- मुख्य निर्माण कार्य	इसमें भूमि के अधिग्रहण तथा ढांचों की लागत भी शामिल होगी।
54- निवेश	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
55- ऋण तथा अग्रिम	इसमें अन्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, उपक्रमों तथा अन्य सरकारी निकायों आदि को दिए गए सभी ऋण तथा अग्रिम शामिल होंगे।
56- उधारों का पुनर्भुगतान	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
60- अन्य पूंजीगत व्यय	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
विषय वर्ग 7 (लेखा समायोजन)	
61- मूल्यहास	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
62- आरक्षितें	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
63- अंतः खाता अंतरण	इसमें आरक्षित निधि से तथा अंतरण इत्यादि को, पूंजी से राजस्व को वापस लिखना शामिल होगा।
64- बड़े खाते/हानियां	इसमें बड़े खाते में डाली गई अवसूली योग्य ऋण, हानियां, व्यापारिक हानियां शामिल होंगी।
70- वसूलियां कटौती	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।

अनुबंध-5.1

(पैराग्राफ 5.4.13 के संदर्भ में)

वर्ष-वार बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रें (यूसी)

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	बकाया यूसी की संख्या	लंबित यूसी की कुल राशि
1976-93	3	17.50
1993-94	11	168.82
1994-95	2	4.65
1995-96	59	311.93
1996-97	69	151.99
1997-98	44	655.53
1998-99	44	393.69
1999-00	39	1109.14
2000-01	51	1389.64
2001-02	35	1033.81
2002-03	67	1555.43
2003-04	144	3074.22
2004-05	186	11514.28
2005-06	194	17039.16
2006-07	273	33737.76
2007-08	176	14711.78
2008-09	145	26589.73
2009-10	119	6775.88
2010-11	164	24762.16
2011-12	647	78950.72
2012-13	477	149903.97
2013-14	759	376065.11
2014-15	78	55610.09
कुल	3786	805526.99